सत्यमेव जयते

लेखे एक दृष्टि में
2022-23

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

बिहार सरकार

लेखे एक दृष्टि में

वर्ष 2022-23 के लिए

बिहार सरकार

प्रस्तावना

मुझे अपने वार्षिक प्रकाशन बिहार सरकार के **'लेखे एक दृष्टि में'**, को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 149 अधिकृत करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राज्य के खातों के संबंध में संसद द्वारा बनाये गये ऐसे किसी कानून के द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और शक्ति का प्रयोग करेंगें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) 1971 का अनुच्छेद 10 प्रावधान करता है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखे के संधारण के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों और विभागों से लेखा कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए राज्य के लेखा संकलन के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य के वार्षिक लेखे, सौंपी गयी दायित्व के निर्वहन में (क) वित्त लेखे एवं (ख) विनियोग लेखे तैयार किए गए हैं। वित्त लेखे तीन भागों में संकलित समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अन्तर्गत लेखे की विवरणियों का सार है। विनियोग लेखे के अन्तर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के सापेक्ष किए गए अनुदानवार व्यय अंकित किए जाते हैं तथा वास्तविक व्यय और प्रावधानित निधि के बीच के अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाता है।

'लेखे एक दृष्टि में' सरकारी कार्यकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित किया गया है। हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालक तथा लोकजन को लेखांकन सूचना प्रदान करने के लिए सूचना को संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों, रेखाचित्रों और समय श्रृंखला विश्लेषण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे, राज्य वित्त प्रतिवेदन तथा 'लेखे एक दृष्टि में' का संयुक्त अवलोकन, हितधारकों को बिहार सरकार के विभिन्न वित्तीय पहलुओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायता प्रदान करेगी।

हमें आपकी मूल्यवान टिप्पणियों और सुझावों की अपेक्षा है, जो इस प्रकाशन के सुधार में सहायक होगी।

पुष्कर कुमार
महालेखाकार (लेखा एवं हक०)
बिहार, पटना

स्थान : पटना

दिनांक : 17 जनवरी 2024

हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य और बुनियादी मूल्य

दृष्टिकोण:

(भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि हम क्या बनना चाहते हैं।)

हमें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक नेतृत्व एवं लोक वित्त तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अंकेक्षण एवं लेखांकन के सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रारंभ करने और लोक वित्त तथा प्रशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और ससमय रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है।

उद्देश्य:

(हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को निरूपित करता है तथा हमारे आज किये जाने वाले कार्य को परिभाषित करता है।)

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त, उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षा तथा लेखाकरण के माध्यम से हम जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे प्रशासन को प्रोत्साहित करते हैं और हमारे हितधारकों-विधानमंडल, कार्यपालिका तथा लोकजन को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

हमारे बुनियादी मूल्य :

(हमारे आंतरिक मूल्य हमारे समस्त कार्यकलापों के मार्गदर्शक संकेत हैं तथा हमें हमारी निष्पादिता के आकलन हेतु निर्देश चिन्ह प्रदान करते हैं।)

- **स्वतंत्रता**
- **उद्देश्यता**
- **सत्यनिष्ठा**
- **विश्वसनीयता**
- **व्यवसायिक कुशलता**
- **पारदर्शिता**
- **सकारात्मक दृष्टिकोण**

विषय सूची

अध्याय-I	विहंगावलोकन	पृष्ठ
1.1	परिचय	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.3	वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे	8
1.4	निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग	11
1.5	लेखे की विशेषताएँ	14
1.6	घाटा/आधिक्य की प्रवृत्ति	15
अध्याय-II	**प्राप्तियाँ**	
2.1	परिचय	17
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	17
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	19
2.4	राज्य का स्व-कर राजस्व संग्रहण की कार्यकुशलता	21
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	22
2.6	विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति	23
2.7	सहायता अनुदान	23
2.8	लोक ऋण	24
अध्याय-III	**व्यय**	
3.1	परिचय	25
3.2	राजस्व व्यय	25
3.3	पूँजीगत व्यय	27
अध्याय-IV	**स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय**	
4.1	व्यय का संवितरण (2022-23)	29
4.2	स्कीम व्यय	29
4.3	स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय	30
4.4	वचनबद्ध व्यय	31

अध्याय-V	**विनियोग लेखे**	
5.1	वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे का सार	32
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति	32
5.3	विशिष्ट बचतें	33
अध्याय-VI	**परिसंपत्तियाँ तथा देयताएँ**	
6.1	परिसंपत्तियाँ	36
6.2	ऋण तथा देयताएँ	36
6.3	गारंटियाँ	37
अध्याय-VII	**अन्य विषयें**	
7.1	आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष	39
7.2	राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम	39
7.3	स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता	39
7.4	रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश	40
7.5	लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखा का प्रस्तुतीकरण	40
7.6	सिंगल नोडल एजेन्सी के खाते में राशि का अंतरण	40
7.7	राज्य सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ	41
7.8	असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र	42
7.9	अप्राप्त सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू०सी०)	42
7.10	व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खाता को स्थानांतरित राशि	43
7.11	सीसीओ और महालेखाकार (लेखा एवं हक०) के बीच प्राप्तियों और व्यय का समाधान	44
7.12	उचंत लेखा के अंतर्गत अंतरण प्रविष्टि	44
7.13	उचन्त लेखे शेष	45
7.14	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों पर वचनबद्धता	45
7.15	अप्रत्याशित और असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय	46
7.16	भारत सरकार लेखांकन मानक (आई०जी०ए०एस०) का अनुपालन	46

अध्याय I

विहंगावलोकन

1.1 परिचय

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, विभिन्न अभिकरणों द्वारा प्रेषित लेखा आँकड़े का मिलान, वर्गीकरण, संकलन कर बिहार सरकार का लेखा तैयार करता है। यह संकलन, जिला कोषागारों, लोक निर्माण कार्य एवं वन प्रमंडलों, अन्य राज्यों/लेखा कार्यालयों द्वारा प्रतिवेदित मासिक लेखे के रूप में प्राप्त प्रारंभिक लेखे और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों पर आधारित होता है। 01.04.2019 से सीएफएमएस के कार्यान्वयन के बाद लोक निर्माण तथा वन प्रमंडलों के लेखों को ट्रेजरी लेखों में विलय कर दिया गया है। प्रत्येक माह प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) द्वारा मासिक सिविल लेखे बिहार सरकार को प्रेषित किये जाते हैं। वर्ष के संकलन कार्य वार्षिक वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार होने पर समाप्त होते हैं। ये प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के द्वारा अंकेक्षण तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा प्रमाणीकरण के अधीन रहते हैं जिसके पश्चात ये विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित किए जाते हैं।

1.2 लेखे की संरचना

1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं: -

भाग-1 **समेकित निधि**	सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व कर और करेत्तर राजस्व सहित, ऋण की उगाही और दिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित) समेकित निधि में शामिल हैं। सरकार के सभी खर्चे और संवितरण, ऋण का संवितरण और लिये गये ऋण का पुनर्भुगतान (उस पर देय ब्याज सहित)इस निधि से पूरित किये जाते हैं।
भाग-2 **आकस्मिक निधि**	आकस्मिक निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जो अप्रत्याशित परिस्थितियों में किए गए व्यय जो विधायिका से अनुमोदन की प्रतीक्षा में है को पूरा करता है। ऐसा व्यय समेकित निधि से प्रतिपूरित होता है । बिहार सरकार के लिए इस निधि का अग्रदाय ₹350 करोड़ है।
भाग-3 **लोक लेखा**	लोक लेखा में ऋण से संबंधित लेनदेन (जो भाग 1 में सम्मिलित है उनके अलावे),'जमा','अग्रिम','प्रेषण' और 'उचंत' को दर्ज किये जायेंगे। ऋण और जमा सरकार की देय देनदारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'अग्रिम' सरकार के प्राप्य हैं। 'प्रेषण और उचंत' लेनदेन समायोजन प्रविष्टियाँ हैं जिन्हे लेखे के अंतिम शीर्षो में प्रविष्टि के पश्चात अंतिम रूप से समायोजित माना जाना है।

1.2.2 लेखे का संकलन

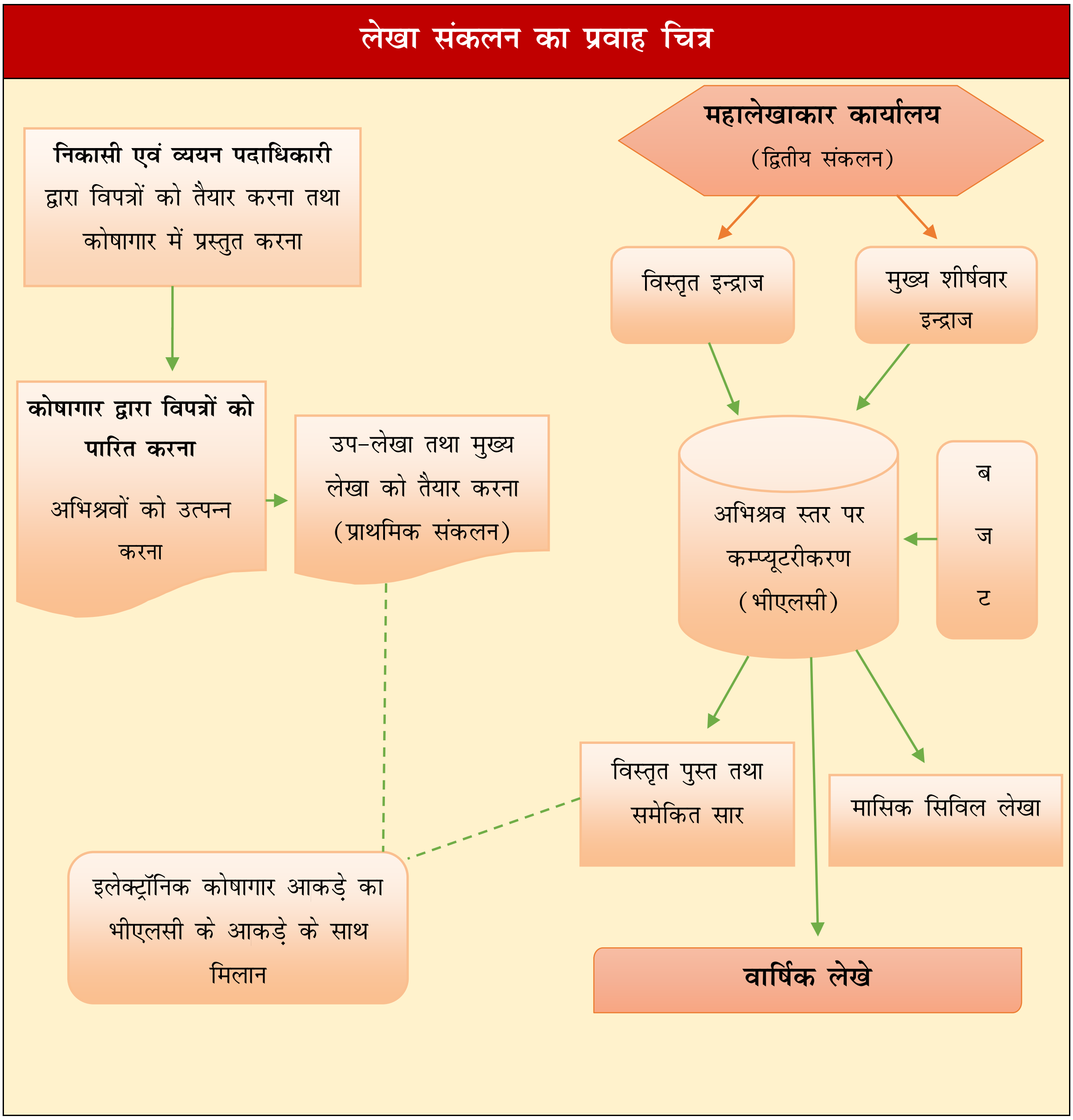

1.3 वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे

1.3.1 वित्त लेखे

वित्त लेखे, सरकार के वर्ष के प्राप्तियों और संवितरणों का राजस्व और पूँजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम, लोक ऋण तथा लोक लेखे में दर्ज शेषों के साथ लेखे में प्रदर्शित करता है । वित्त लेखे को और अधिक व्यापक तथा सूचनापरक बनाने के लिए इसे दो खण्डों में तैयार किया गया है। वित्त लेखे के खण्ड I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र, समग्र प्राप्तियों तथा संवितरणों की सारांशीकृत विवरणियाँ तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता एवं अन्य मदों से युक्त 'लेखे पर टिप्पणी' शामिल होते हैं। खण्ड II में विस्तृत विवरणियाँ (भाग-I) और परिशिष्टों (भाग-II) को रखा जाता है।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य की क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त निधि सीधे जारी की है । वर्ष 2022-23 में, भारत सरकार ने बिहार में क्रियान्वयन अभिकरणों को ₹24,302 करोड़ (₹19,117 करोड़ पिछले वर्ष) सीधे जारी किये। चूंकि ये निधियाँ राज्य बजट के माध्यम से परिचालित नहीं होती है, इसलिए वे राज्य सरकार के लेखे में परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार के निधियों के स्थानान्तरण को वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड II के परिशिष्ट VI में प्रदर्शित किया गया है।

निम्नलिखित विवरणी वर्ष 2022-23 के वास्तविक वित्तीय परिणाम के साथ बजट का विवरण प्रदान करता है।

	बजट अनुमान	वास्तविकी	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता (*)
	(₹ करोड़ में)			
1. कर राजस्व (केन्द्रीय अंशदान सहित)	1,32,568	1,39,528	105	19
2. करेतर राजस्व	6,136	4,135	67	1
3. सहायता अनुदान और अंशदान	58,001	29,025	50	4
4. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,96,705	1,72,688	88	23
5. ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	432	41	9	0
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. उधार एवं अन्य दायित्व	25,885	44,823	173	6
8. पूजीगत प्राप्तियाँ (5+6+7)	26,317	44,864	170	6
9. कुल प्राप्तियाँ (4+8)	2,23,022	2,17,552	98	29
10. राजस्व व्यय	1,91,957	1,83,976	96	24
11. ब्याज भुगतान पर व्यय (राजस्व व्यय से)	16,305	16,472	101	2
12. पूजीगत व्यय	29,750	31,520	106	4
13. ऋणों तथा अग्रिमों का संवितरण	1,315	2,056	156	0
14. कुल व्यय (10+12+13)	2,23,022	2,17,552	98	29
15. राजस्व अधिशेष/घाटा (4-10)	4,748	11,288	238	2
16. राजकोषीय घाटा (4+5-14)	25,885	44,823	173	6

(*) 2022-23 के लिए स0रा0घ0उ0 ₹7,51,396 करोड़ था।

वर्ष 2022-23 में प्राप्तियाँ और व्यय

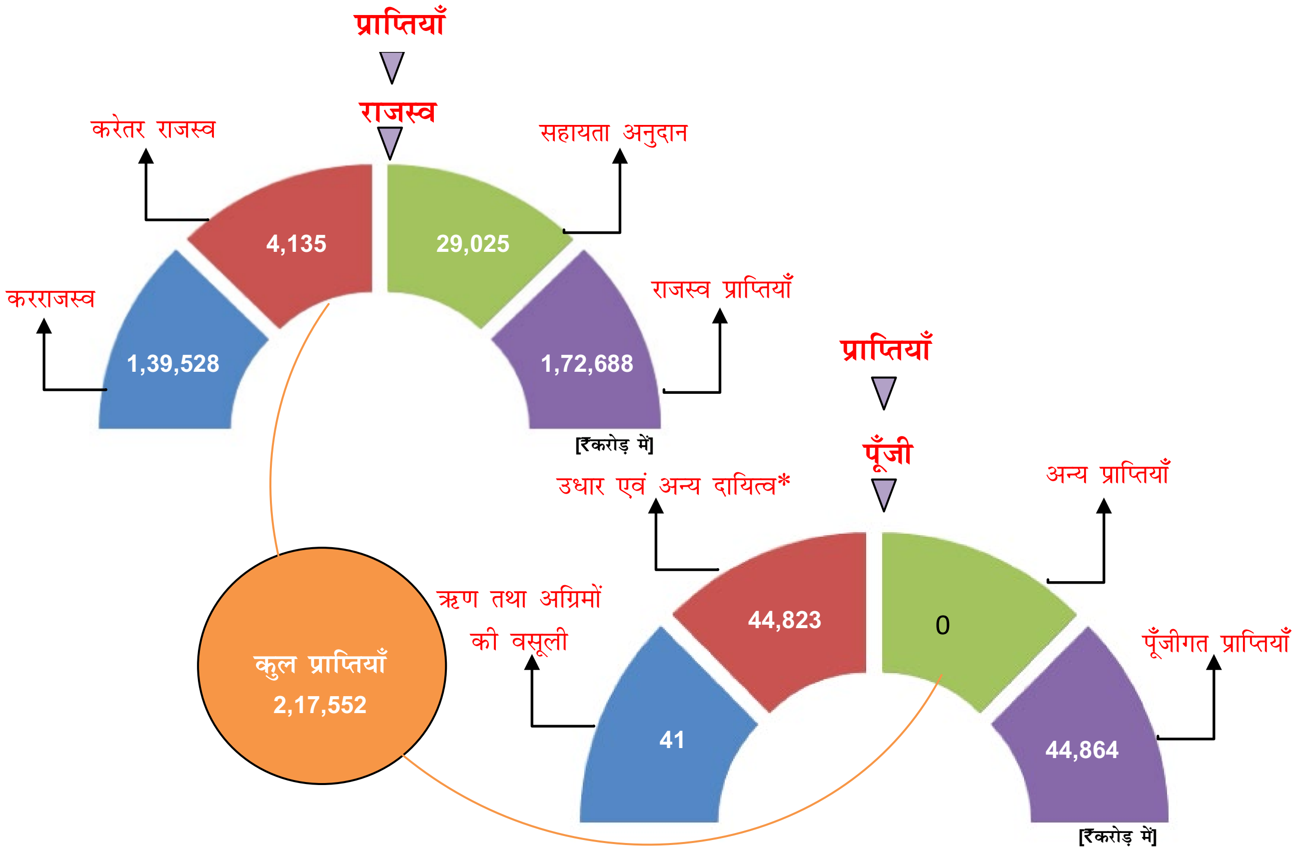

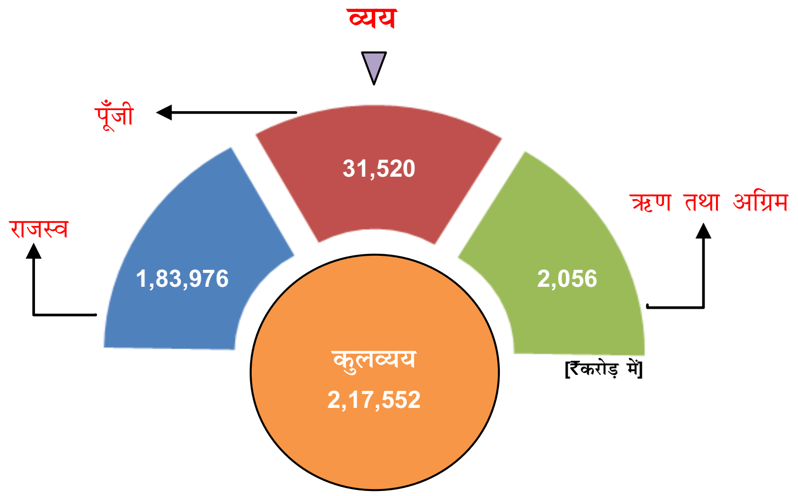

*उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ–संवितरण) + आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ–संवितरण) + आदि रोकड़ शेष तथा अंतरोकड़ शेष का निवल।

1.3.2 विनियोग लेखे

संविधान के अंतर्गत, विधानमंडल की स्वीकृति के बिना सरकार द्वारा कोई भी व्यय नहीं किया जा सकता है। संविधान में निर्दिष्ट कुछ व्यय, जो समेकित निधि पर भारित हैं तथा जिन्हें विधानमंडल के मत के बिना खर्च किया जा सकता है, को छोड़कर अन्य सभी व्यय के लिए 'मतदान' की आवश्यकता है। बिहार सरकार के बजट में 51 अनुदान/विनियोग है । विनियोग लेखे का उद्देश्य यह इंगित करना है कि विनियोग अधिनियम के माध्यम से विधानमंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष स्वीकृत विनियोगों के साथ वास्तविक व्यय को किस सीमा तक अनुपालित किया गया है।

विनियोग अधिनियम, 2022-23 द्वारा ₹3,01,686 करोड़ का सकल व्यय और ₹0.01 करोड़ का व्यय में कमी (वसूलियों) के रूप में प्रावधानित किया गया था। इसके विरूद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹2,35,177 करोड़ और व्यय में कमी ₹3,273 करोड़ हुआ। परिणामत: शुद्ध निवल बचत ₹66,510 करोड़ (28.83 प्रतिशत) हुआ और व्यय में कमी के रूप में ₹3,273 करोड़ का कम आकलन किया गया। सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्रों से आहरित राशि ₹6,149 करोड़ सम्मिलित है।

1.4 निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकारों को उनकी तरलता स्थिति को कायम रखने हेतु अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू० एम० ए०) की सुविधा प्रदान करता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ इसके लेखे में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (₹1.73 करोड़) में कमी आती है, तब ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) की सुविधा प्रदान की जाती है। ऐसे अर्थोपाय अग्रिम जितनी ही अधिक राशि एवं जितनी ही अधिक संख्या में लिए या निकासी किए जाएँ, उतनी ही यह राज्य सरकार के रोकड़ शेष की प्रतिकूल स्थिति को प्रतिबिम्बित करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, बिहार सरकार द्वारा बिना अग्रिम लिए ही न्यूनतम शेष को कायम रखा गया।

1.4.2 रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट

भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट (ओ०डी०) तब लिया जाता है जब भारतीय रिजर्व बैंक के साथ न्यूनतम रोकड़ शेष बरकरार रखने की सीमा जो ₹1.73 करोड़ है में अर्थोपाय अग्रिम प्राप्त करने के बाद भी कमी आती है। वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार सरकार ने न्यूनतम शेष बिना अग्रिम लिये कायम रखा।

1.4.3 निधि प्रवाह का विवरण

राज्य का राजस्व घाटा ₹11,288 करोड़ और राजकोषीय घाटा ₹44,823 करोड़ रहा, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 1.50 प्रतिशत और 5.97 प्रतिशत को इंगित करता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय का 20.60 प्रतिशत है। इस घाटे को लोक ऋण (₹33,932 करोड़), लोक लेखे ₹11,026 करोड़ की कमी और आदि तथा अंत शेष के निवल ₹134.66 करोड़ से पूरित किया गया। ₹63,144 करोड़ जो राज्य सरकार के राजस्व प्राप्ति (₹1,72,688 करोड़) का लगभग 36.57 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय, जैसे- वेतन (₹24,816 करोड़), ब्याज संदाय (₹15,184 करोड़) तथा पेंशन(₹23,144 करोड़) पर खर्च किया गया।

निधियों के स्रोत तथा अनुप्रयोग

(₹ करोड़ में)

	विवरण	राशि
स्रोत	1 अप्रैल 2022 को रिजर्व बैंक प्रारंभिक रोकड़ शेष	671
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,72,688
	ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	41
	लोक ऋण	48,284
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	2,561
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	4,291
	जमा प्राप्तियाँ	74,815
	सिविल पेशगियाँ पुनर्भुगतान	0
	उचंत लेखा	6,28,347
	प्रेषण	0
	आकस्मिकता निधि	0
	जोड़	**9,31,698**
अनुप्रयोग	राजस्व व्यय	1,83,976
	पूँजीगत व्यय	31,520
	प्रदत्त ऋण	2,056
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	14,351
	लघु बचतें, भविष्य निधियाँ तथा अन्य	2,686
	आरक्षित तथा शोधन निधियाँ	2,706
	जमा राशि से किए गए व्यय	74,411
	प्रदत्त सिविल पेशगियाँ	0
	उचंत लेखा	6,19,186
	प्रेषण	0
	31 मार्च 2023 को रिजर्व बैंक रोकड़ अंतशेष	806
	जोड़	**9,31,698**

1.4.4 रुपया जहाँ से आया

वास्तविक प्राप्तियों के मुख्य खंड

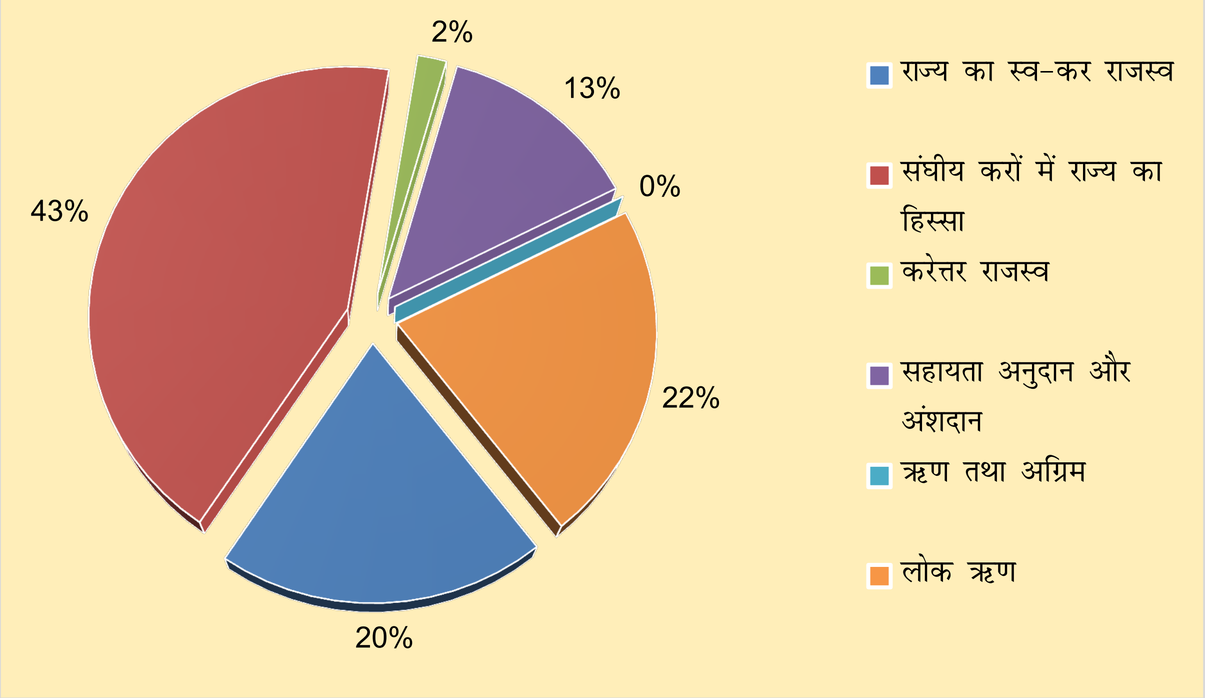

1.4.5 रुपया जहाँ गया

वास्तविक व्यय के मुख्य खंड

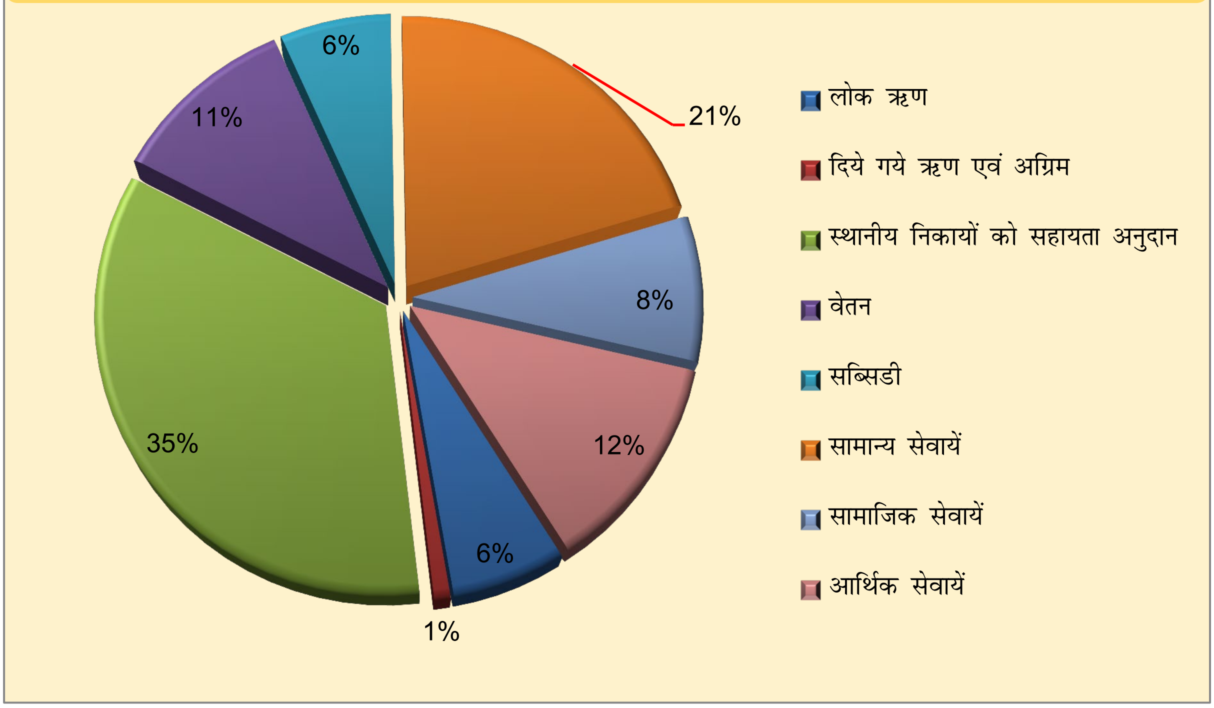

* मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्व शिक्षा अभियान आदि पर भी हुआ व्यय शामिल हैं।

1.5 लेखे की विशेषताएँ

	बजट अनुमान 2022-23	वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक की प्रतिशतता	स०रा०घ०उ० से वास्तविक की प्रतिशतता ($)
	(₹ करोड़ में)			
1. राज्य का स्व-कर राजस्व	41,387	44,018	106	6
2. संघीय करों में राज्य का हिस्सा	91,181	95,510	105	13
3. करेत्तर राजस्व	6,136	4,135	67	1
4. सहायता अनुदान तथा अंशदान	58,001	29,025	50	4
5. राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	**1,96,705**	**1,72,688**	**88**	**23**
6. अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-
7. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली	432	41	9	0
8. उधार एवं अन्य दायित्व (A)	25,885	44,823	173	6
9. पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	**26,317**	**44,864**	**170**	**6**
10. कुल प्राप्तियाँ (5+9)	**2,23,022**	**2,17,552**	**98**	**29**
11.स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (*)	**1,22,791**	**1,12,399**	**92**	**15**
12. राजस्व लेखा	1,22,603	1,12,246	92	15
13. 12 के व्यय में से ब्याज अदायगी	16,305	16,472	101	2
14. पूँजीगत लेखा	188	153	81	0
15. स्कीम व्यय (*)	**1,00,230**	**1,05,154**	**105**	**14**
16. राजस्व लेखा	69,353	71,730	103	10
17. पूँजीगत लेखा	30,877	33,424	108	4
18. कुल व्यय (11+15)	**2,23,021**	**2,17,553**	**98**	**29**
19. राजस्व व्यय (12+16)	**1,91,956**	**1,83,976**	**96**	**24**
20. पूँजीगत व्यय (14+17) (#)	**31,065**	**33,577**	**108**	**4**
21. राजस्व आधिक्य/घाटा (5-19)(@)	**9,196**	**11,288**	**123**	**2**
22. राजकोषीय घाटा (5+6+7-18)(@)	**25,885**	**44,823**	**173**	**6**

($) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का आँकड़ा ₹7,51,396 करोड़ बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय) से प्राप्त सूचना से लिया गया है।

(#) पूँजीगत लेखे पर व्यय में पूँजीगत व्यय (₹31,520 करोड़), संवितरित कर्ज एवं अग्रिम (₹2,057 करोड़) सम्मिलित है।

(*) स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत ₹129 करोड़ तथा स्कीम व्यय के अंतर्गत ₹1,928 करोड़ जो कर्ज एवं अग्रिमों से संबंधित है, व्यय में सम्मिलित है।

(A) उधार एवं अन्य दायित्व : लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण)+आकस्मिकता निधि का निवल + लोक लेखे का निवल (प्राप्तियाँ-व्यय) + आरंभिक एवं अंत रोकड़ शेष का निवल।

(@) राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटे की गणना में उदय अंतर्गत व्यय शामिल है।

घाटा और आधिक्य क्या निरूपित करता है ?

घाटा	राजस्व और व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। घाटे की प्रकृति, घाटे का वित्त पोषण कैसे किया गया है तथा निधियों का प्रयोग वित्तीय प्रबंधन में दूरदर्शिता के महत्वपूर्ण सूचक हैं।
राजस्व घाटा/अधिशेष	राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। राज्य सरकार के वर्त्तमान स्थापना को बनाए रखने के लिए राजस्व व्यय आवश्यक होता है और सिद्धांतत: इसे राजस्व प्राप्ति से पूरित होना चाहिए।
राजकोषीय घाटा/अधिशेष	कुल प्राप्तियों (उधारों को छोड़कर) और कुल व्यय के बीच के अंतर को संदर्भित करता है। इसलिए यह अंतर इंगित करता है कि व्यय को किस हद तक उधारों के द्वारा वित्त पोषित किया गया है। सिद्धांतत: उधारों का निवेश पूँजीगत परियोजनाओं में होना चाहिए।

1.6 घाटा/आधिक्य की प्रवृत्ति

1.6.1 राजस्व घाटा / आधिक्य की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)

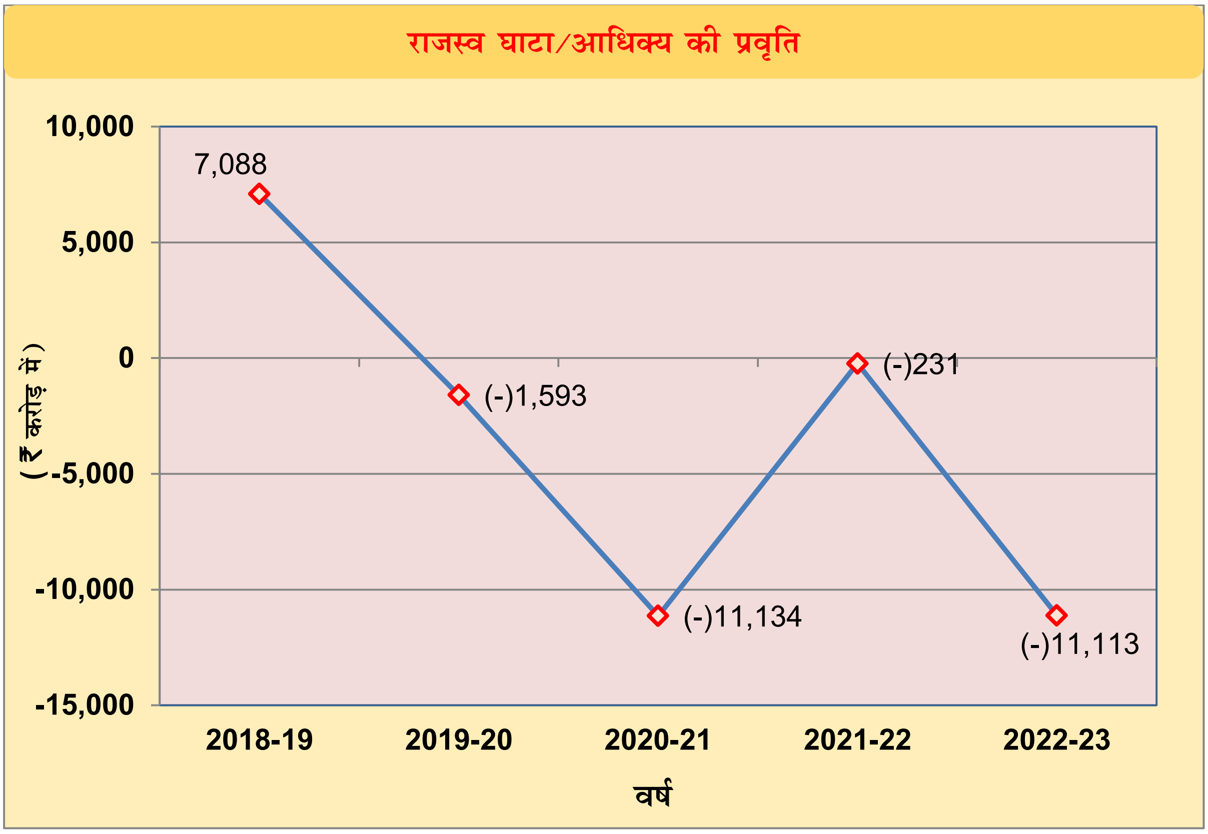

1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति (उदय को छोड़कर)

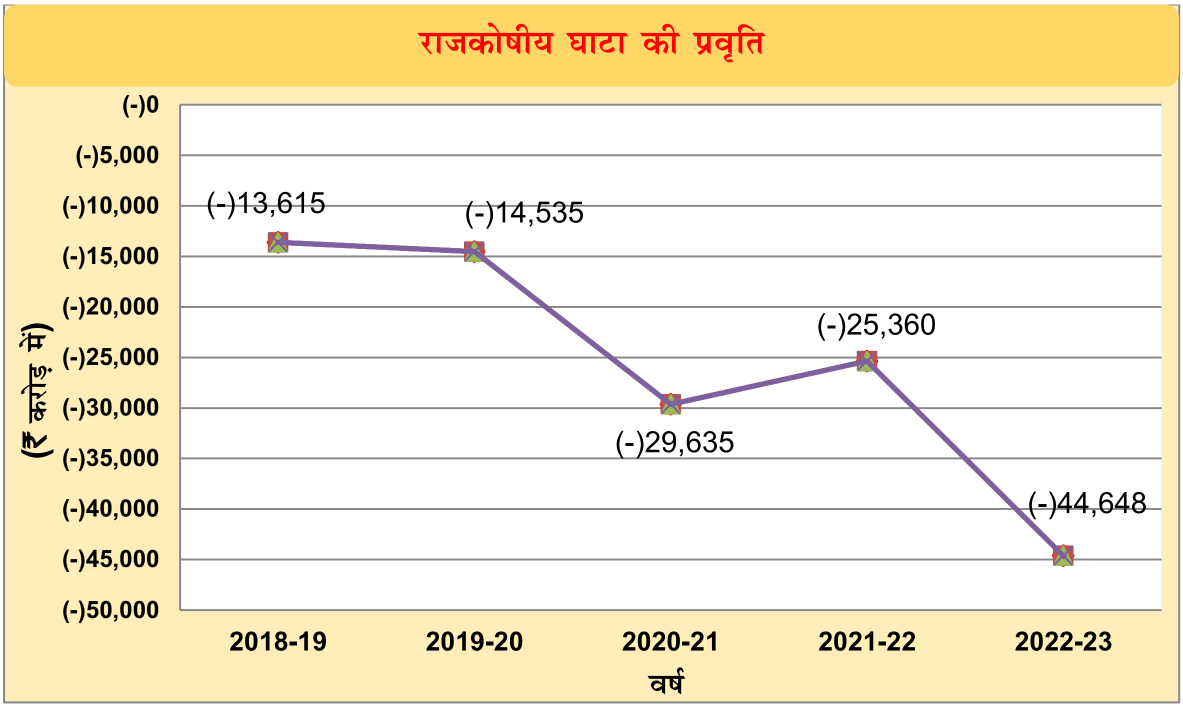

1.6.3 उधार ली गई निधियों से पूँजीगत व्यय पर किए गए खर्च का अनुपात

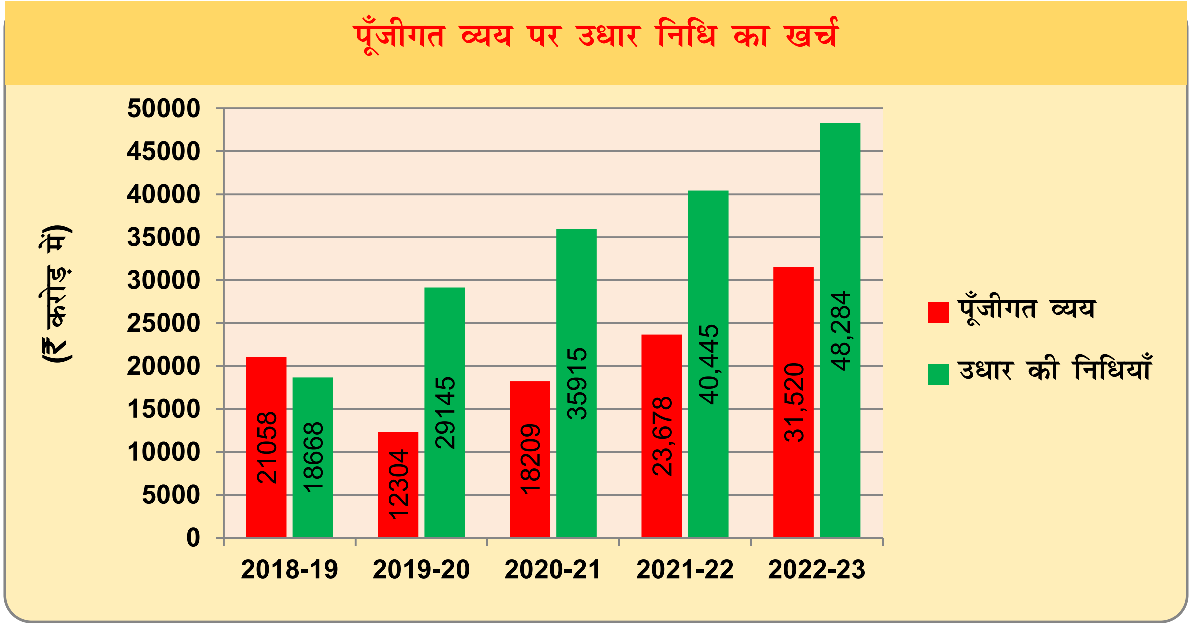

यह वांछनीय है कि पूँजीगत व्यय उधार ली गई निधियों से पूर्णत: वित्त पोषित हो तथा राजस्व प्राप्तियों का उपयोग मूलधन तथा ब्याज की वापसी अदायगी के लिए किया जाय । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान अपने पूँजीगत व्यय (₹31,520 करोड़) को चालू वर्ष के उधारों (₹48,284 करोड़) और राजस्व घाटा (₹11,288 करोड़) से वित्त पोषित किया गया है।

अध्याय II

प्राप्तियाँ

2.1 परिचय

सरकार की प्राप्तियों को राजस्व प्राप्तियाँ एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ष 2022-23 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹2,17,552 करोड़ थी।

2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	राज्य सरकार द्वारा संग्रहित तथा लगाये गये कर और संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अन्तर्गत संघीय करों का राज्यांश सम्मिलित है।
करेत्तर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ इत्यादि सम्मिलित है।
सहायता अनुदान	मूलत: संघ सरकार से राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त संघ सरकार के माध्यम से विदेशी सरकारों से प्राप्त बाह्य सहायता अनुदान एवं सहायता, सामग्री तथा उपस्कर सम्मिलित हैं।

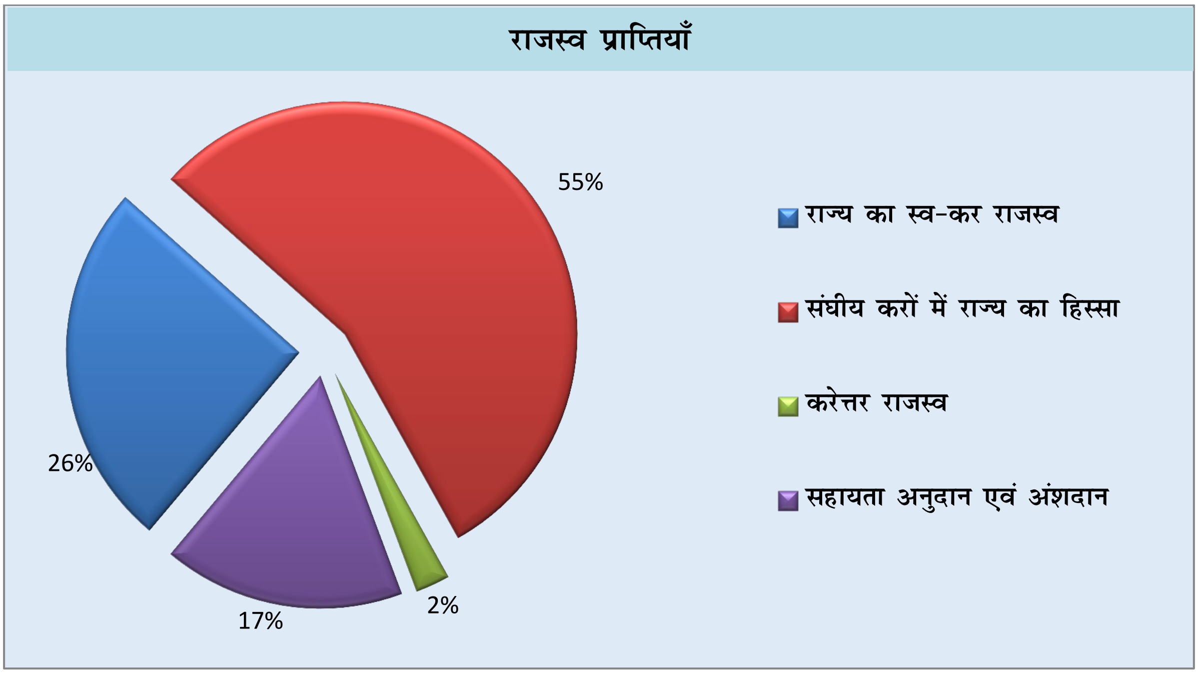

राजस्व प्राप्ति के घटक (2022-23)

(₹ करोड़ में)

घटक		वास्तविकी
क.	**कर राजस्व**	**1,39,528**
	राज्य का स्व-कर राजस्व	**44,018**
	वस्तु और सेवाकर	23,243
	आय तथा व्यय पर कर	156
	सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	6,812
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	13,807
	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	**95,510**
	वस्तु और सेवाकर	26,989
	आय तथा व्यय पर कर	63,282
	सम्पत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	0
	वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	5,239
ख.	**करेत्तर राजस्व**	**4,135**
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	644
	सामान्य सेवायें	455
	समाजिक सेवायें	59
	आर्थिक सेवायें	2,977
ग.	**सहायता अनुदान तथा अंशदान**	**29,025**
	कुल-राजस्व प्राप्तियाँ	**1,72,688**

2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कर राजस्व	1,03,011 (18)	93,564 (15)	90,203 (15)	1,26,207 (19)	1,39,528 (19)
करेत्तर राजस्व	4,131 (0.74)	3,700 (0.60)	6,201 (1)	3,984 (1)	4,135 (1)
सहायता अनुदान	24,652 (4)	26,969 (4)	31,764 (5)	28,606 (4)	29,025 (4)
कुल राजस्व प्राप्तिया	1,31,794 (24)	1,24,233 (20)	1,28,168 (21)	1,58,797 (24)	1,72,688 (23)
स० रा० घ० उ०	5,57,490	6,11,804	6,18,628	6,75,448	7,51,396

नोट : कोष्ठक में दर्शाये गये आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को दर्शाते हैं ।

यद्यपि वर्ष 2021-22 तथा 2022-23 के बीच सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 10% की वृद्धि हुई, राजस्व संग्रहण में 8.75% की वृद्धि हुई। वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में कर राजस्व में 10.55% की वृद्धि तथा करेतर राजस्व में 3.79% की बृद्धि हुई। करेतर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: निम्न के अंतर्गत अधिक संग्रहण के कारण हुई:

- 'ब्याज प्राप्तियाँ' (₹642 करोड़),
- 'अन्य प्रशासनिक सेवायें' (₹301 करोड़),
- 'शिक्षा, खेल-कुद, कला और संस्कृति' (₹6 करोड़) तथा
- 'सड़क एवं पुल' {₹(-)35 करोड़)}।

इसके अलावा वर्ष 2022-23 में शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति' तथा 'चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य' के तहत संग्रहण क्रमश: ₹6 करोड़ तथा ₹32 करोड़ हुआ, जबकि वर्ष 2021-22 में इनके विरूद्ध संग्रहण क्रमश: ₹509 करोड़ तथा ₹41 करोड़ था। राज्य के स्व-कर राजस्व के अंतर्गत 'स्टांप एवं पंजीकरण शुल्क' (₹6,451 करोड़) और 'बिक्री, व्यापार इत्यादि' (₹9,881 करोड़) में वृद्धि का रूझान देखा गया।

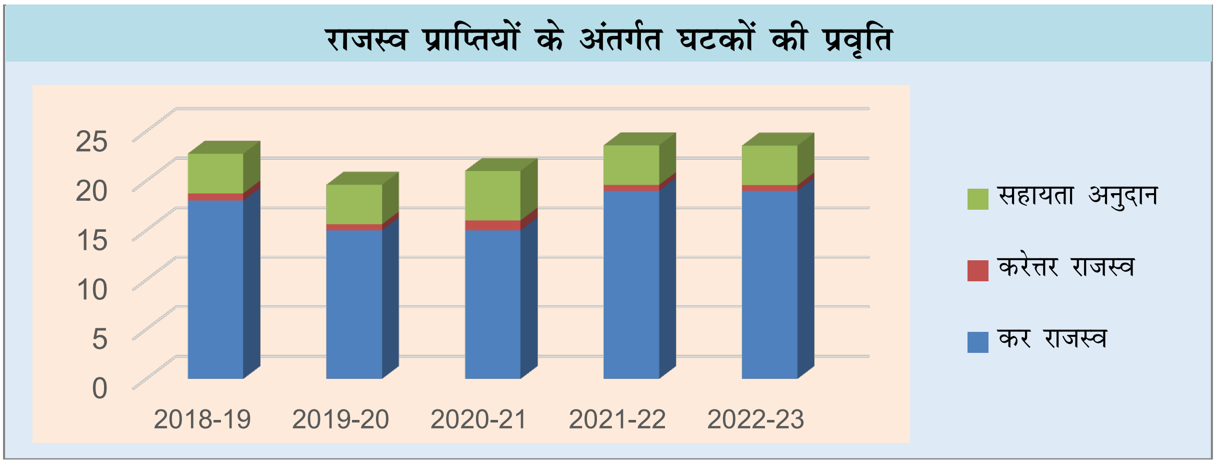

खण्डवार कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वस्तु और सेवाकर	34,905	33,794	33,839	44,706	50,232
आय तथा व्यय पर कर	44,573	38,673	36,705	53,981	63,438
संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर	4,675	4,937	4,508	5,515	6,812
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	18,688	16,160	15,151	22,005	19,046
कुल-कर राजस्व	**1,03,011**	**93,564**	**90,203**	**1,26,207**	**1,39,528**

कुल कर राजस्व में वृद्धि मुख्यत: 'वस्तु और सेवाकर' (₹50,232 करोड़), 'निगमकर' (₹32,019 करोड़), 'आय पर निगमकर से भिन्न कर' (₹31,262 करोड़), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹6,451 करोड़), बिक्री, व्यापार इत्यादि (₹9,881 करोड़) तथा 'वाहनकर' (₹2,935 करोड़) के अन्तर्गत अत्यधिक संग्रहण के कारण हुई है।

प्रमुख करों का स०रा०घ०उ० से अनुपातिक रूझान

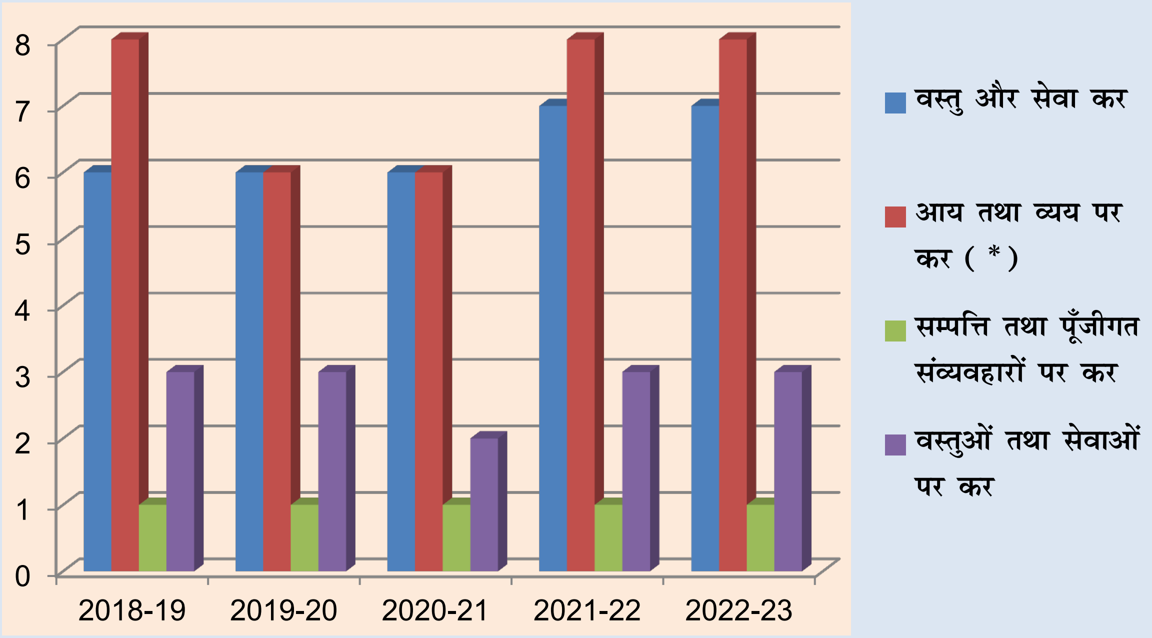

(*) राज्य को मुख्य रूप से केन्द्रांश के निवल आगमों का हिस्सा

2.4 राज्य का स्व-कर एवं संघीय करों का राज्यांश

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों का राज्यांश		राज्य का स्व-कर राजस्व	
		राशि	स० रा० घ० उ०* की प्रतिशतता	राशि	स० रा० घ० उ०* की प्रतिशतता
2018 - 19	1,03,011	73,603	13.20%	29,408	5.27%
2019 - 20	93,564	63,406	10.36%	30,158	4.93%
2020 - 21	90,203	59,861	9.68%	30,342	4.90%
2021 - 22	1,26,207	91,353	13.52%	34,854	5.16%
2022 - 23	1,39,528	95,510	12.71%	44,018	5.86%

(*) 2022-23 के लिए स0 रा0 घ0 उ0 ₹7,51,396 करोड़ था।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ''संघीय करों का राज्यांश'' 2018-19 के 13.20% से घटकर 2022-23 में 12.71% हो गया है, उसी अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष ''राज्य के स्व-कर राजस्व'' 5.27% से बढ़कर 5.86% हो गया है।

2.4.1 विगत पाँच वर्षों में राज्य के स्व-कर संग्रहण की प्रवृति

(₹ करोड़ में)

कर	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बिक्री और व्यापार आदि पर कर	6,584	6,121	6,031	6,872	9,881
राज्य वस्तु और सेवाकर	15,288	15,801	16,050	19,264	23,243
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,189	4,661	4,206	5,224	6,451
माल तथा यात्रीकर	399	23	6	(-)1	1
वाहनकर	2,086	2,713	2,268	2,475	2,935
भू-राजस्व	477	275	302	284	361
आय तथा व्यय पर अन्य कर	125	114	126	141	156
राज्य उत्पाद शुल्क	(-)10	(-)4	(-)4	(-)1	1
अन्य	270	454	1,357	596	989
राज्य का कुल स्व-कर	**29,408**	**30,158**	**30,342**	**34,854**	**44,018**

2.5 कर संग्रहण की दक्षता

क. वस्तु और सेवाकर

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व संग्रहण	34,905	33,794	33,839	44,706	50,232
संग्रहण पर व्यय	114	121	131	133	142
कर संग्रहण की दक्षता	0.32%	0.36%	0.39%	0.30%	0.28%

ख. संपत्ति तथा पूँजीगत संव्यवहारों पर कर

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व संग्रहण	4,675	4,937	4,509	5,515	6,812
संग्रहण पर व्यय	583	290	704	847	1,012
कर संग्रहण की दक्षता	12%	6%	16%	15%	15%

ग. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
राजस्व संग्रहण	18,726	16,160	15,150	22,005	19,046
संग्रहण पर व्यय	269	326	324	348	563
कर संग्रहण की दक्षता	1.43%	2.02%	2.14%	1.58%	2.96%

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर, कर राजस्व का एक मुख्य अंश है। वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर संग्रहण की दक्षता संतोषप्रद है।

2.6 विगत पाँच वर्षों में संघीय करों के राज्यांश की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वस्तु और सेवाकर	19,617	17,993	17,789	25,442	26,989
निगमकर	25,597	21,619	18,062	27,179	32,020
निगमकर से भिन्न आय पर कर	18,851	16,940	18,517	26,661	31,262
संपत्ति कर	9	1	0	7	0
सीमा शुल्क	5,217	4,019	3,180	6,776	3,755
संघ उत्पाद शुल्क	3,467	2,794	2,012	3,869	1,178
सेवाकर	673	0	258	1,326	149
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	171	40	43	93	157
संघीय करों का राज्यांश	**73,603**	**63,406**	**59,861**	**91,353**	**95,510**
कुल राजस्व कर	**1,03,011**	**93,564**	**90,203**	**1,26,207**	**1,39,528**
कुल राजस्व कर से संघीय करों का प्रतिशत	**71**	**68**	**66**	**72**	**68**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष संघीय करों का प्रतिशत	**13**	**10**	**10**	**14**	**13**

2.7 सहायता अनुदान

सहायता अनुदान भारत सरकार से प्राप्त सहायता राशियों को दर्शाता है तथा इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों, वित्त आयोग अनुदान तथा राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान शामिल हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान सहायता अनुदान के अन्तर्गत कुल प्राप्ति ₹29,025 करोड़ थी, जो निम्नवत है:-

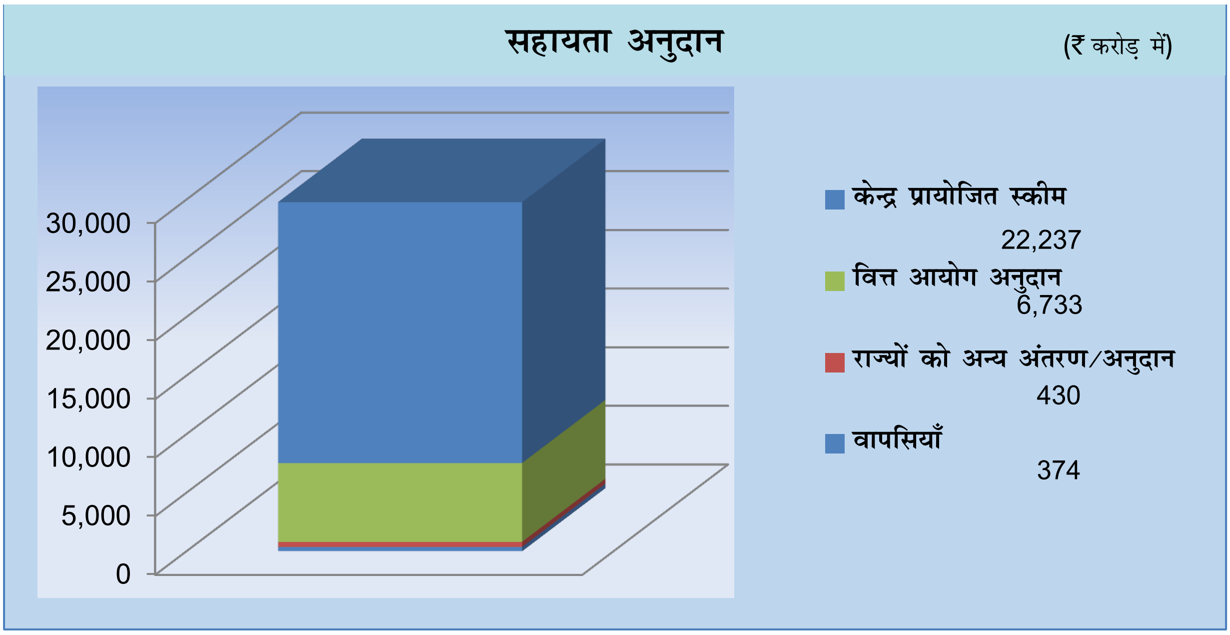

सहायता अनुदान वर्ष 2021-22 के तुलना में 2022-23 में बढ़कर 1.46 प्रतिशत हो गया। सहायता अनुदान के बजट अनुमान ₹58,001 करोड़ के विरूद्ध राज्य सरकार ने वास्तविक रूप से ₹29,025 करोड़ का सहायता अनुदान प्राप्त किया (बजट अनुमान का 50 प्रतिशत)।

2.8 लोक ऋण

लोक ऋण में आंतरिक ऋण और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम सम्मिलित होते हैं। आंतरिक ऋण में, बाजार कर्ज, आरबीआई से अर्थोपाय अग्रिम, वित्तीय संस्थानों से कर्ज तथा राष्ट्रीय लघु बचत निधि आदि को जारी विशेष बंध पत्र सम्मिलित होते है।

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण का रूझान

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
आंतरिक ऋण	9,835	21,722	23,475	23,297	25,243
केन्द्रीय कर्ज	1,603	313	5,559	8,400	8,690
कुल लोक ऋण	11,438	22,035	29,035	31,697	33,933

वर्ष 2022-23 में, कुल ₹36,800.00 करोड़ के पंद्रह ऋण जो वर्ष 2032-33 में विमुक्त योग्य होंगे, को ब्याज दर 7.45 प्रतिशत से 7.85 प्रतिशत के बीच के सममूल्य पर लिए गये।

2022-23 के दौरान राज्य सरकार के कुल आंतरिक ऋण ₹38,129 करोड़ एवं इस अवधि के दौरान केन्द्रीय ऋण घटक के रूप में प्राप्त ₹10,155 करोड़ के जोड़ के विरूद्ध पूँजीगत परिव्यय ₹31,520 करोड़ था, जो दर्शाता है कि कुल लोक ऋण का उपयोग पूँजीगत परिसम्पतियों के निर्माण एवं विकासशील उद्देश्यों के लिए किया गया।

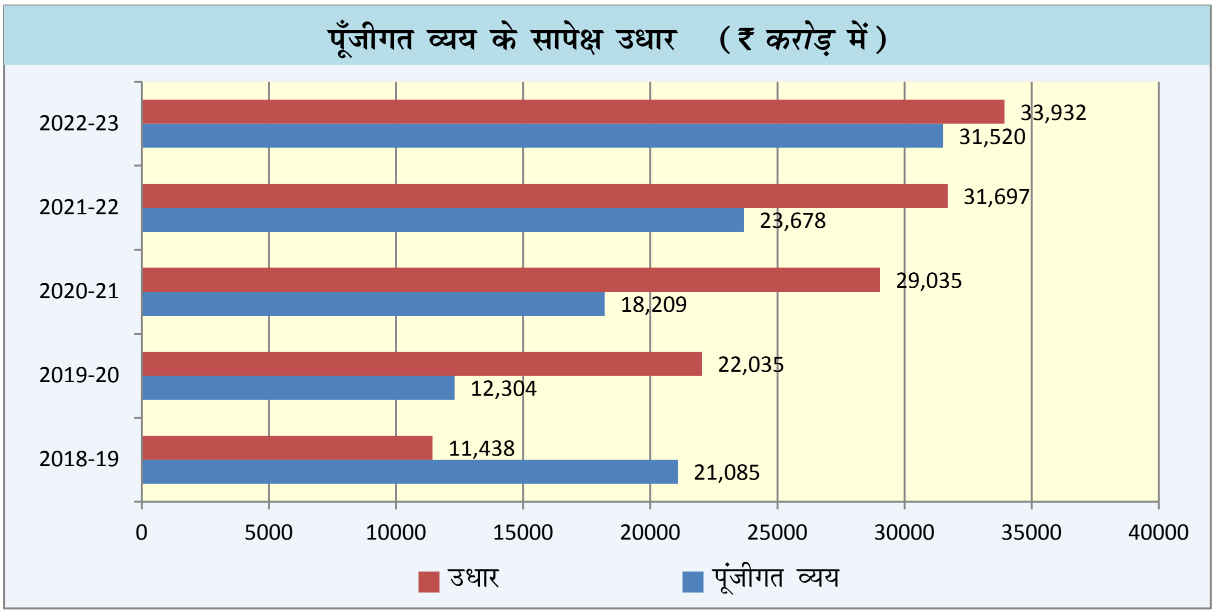

अध्याय III

व्यय

3.1 परिचय

व्यय को राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय का अभिप्राय वस्तु एवं सेवाओं के वर्तमान उपभोग तथा विभागीय गैर-पूंजीगत गतिविधियों के स्थापना व्यय से है। पूँजीगत व्यय भौतिक एवं स्थाई प्रकृति की नई परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा वर्त्तमान परिसंपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करने के लक्ष्य से किया गया व्यय है। इसमें निवेश भी शामिल होता है जिससे वर्ष के बाद निवेश पर लाभ प्राप्त होता है।

सामान्य सेवायें	सामान्य प्रशासन, न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि सम्मिलित हैं।

समाजिक सेवायें	शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कल्याण इत्यादि सम्मिलित हैं।

आर्थिक सेवायें	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि सम्मिलित हैं।

3.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व व्यय ₹1,83,976 करोड़ बजट अनुमान (₹1,91,957 करोड) से ₹7,981 करोड़ कम था। वर्ष 2022-23 में राजस्व व्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स०रा०घ०उ०) का 24.48 प्रतिशत था। विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व प्रभाग के अंतर्गत बजट अनुमानों के विरूद्ध व्यय में कमी निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
बजट अनुमान	1,36,740	1,55,230	1,64,751	1,77,071	1,91,957
वास्तविकी व्यय	1,24,897	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976
अन्तर	11,843	29,213	25,258	17,851	7,981
बजट अनुमान से अंतर का %	9	19	15	10	4

राज्य उपलब्ध संसाधनों के बाद भी बजट का व्यय नहीं कर सका। बजटीय व्यय से वास्तविक व्यय के मध्य प्रतिशत अंतर 4 था जो विकास हेतु व्यय की गति बढ़ाने की आवश्यकता को इंगित करता है।

3.2.1 राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण (2022-23)

घटक		राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
क.	सामान्य सेवायें	56,029	30
ख.	सामाजिक सेवायें	88,349	48
ग.	आर्थिक सेवायें	39,598	22
घ.	सहायता अनुदान तथा अंशदान	-	-
कुल व्यय (राजस्व लेखा)		**1,83,976**	**100**

3.2.2 राजस्व व्यय के मुख्य घटक (2018-23)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	समाजिक सेवायें	58,284	57,816	63,808	76,115	88,349
2.	आर्थिक सेवायें	27,918	26,571	29,445	34,166	39,598
3.	सामान्य सेवायें*	27,840	5,763	33,946	35,117	56,029
4.	ऋण सेवायें	10,855	11,836	12,484	13,822	13,822
कुल		**1,24,897**	**1,01,986**	**1,39,683**	**1,59,220**	**1,97,798**

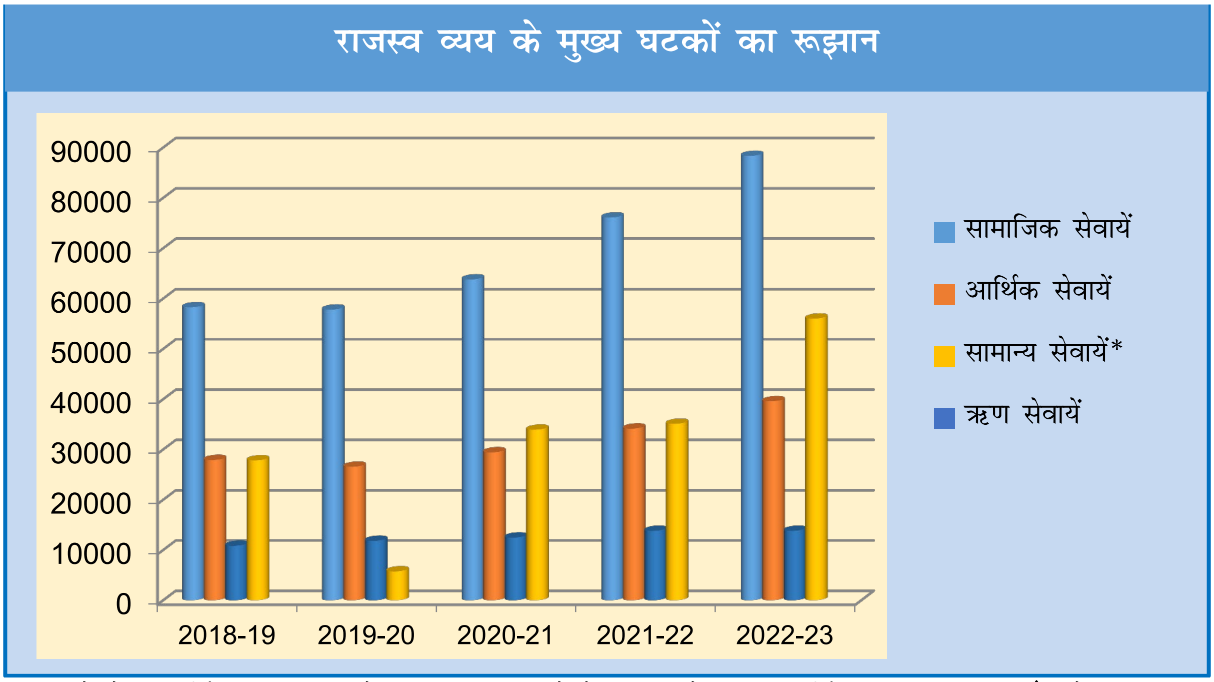

*सामान्य सेवायें मुख्य शीर्ष-2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन), मुख्य शीर्ष-2049 (ब्याज अदायगियाँ) को सम्मिलित नहीं करता है तथा मुख्य शीर्ष-3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को सम्मिलित करता है।

3.3 पूँजीगत व्यय

2022-23 के लिए पूँजीगत संवितरण ₹33,577 करोड़ था जो जीएसडीपी का 4.47 प्रतिशत था। यह बजट अनुमान (₹31,065 करोड़) से ₹2,512 करोड़ अधिक था।

3.3.1 पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं पर ₹1,668 करोड़ (वृहद् सिंचाई पर ₹1,208 करोड़ तथा लघु सिंचाई पर ₹460 करोड़), बाढ़ नियंत्रण पर ₹984 करोड़ और ऊर्जा परियोजनाओं पर ₹3,079 करोड़ व्यय किया गया। उपरोक्त के अलावा, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न निगमों/कम्पनियों/समितियों में ₹3,589 करोड़ निवेश किया गया।

क्रम सं०	क्षेत्र	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता
1.	**सामान्य सेवायें**-पुलिस, भू-राजस्व आदि।	3,255	10
2.	**समाजिक सेवायें**-शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण आदि।	5,967	18
3.	**आर्थिक सेवायें**- कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन आदि।	22,298	66
4.	संवितरित ऋण तथा अग्रिम	2,057	6
	कुल	**33,577**	**100**

3.3.2 विगत पाँच वर्षों के पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	प्रभाग	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
1.	सामान्य सेवायें	3,311	2,388	1,387	3,507	3,255
2.	समाजिक सेवायें	4,061	2,803	6,332	5,154	5,967
3.	आर्थिक सेवायें	13,686	7,113	10,491	15,017	22,298
4.	ऋण तथा अग्रिम	1,471	666	1,113	1,479	2,057
कुल		**22,529**	**12,970**	**19,323**	**25,157**	**33,577**

पूँजीगत व्यय का क्षेत्रवार रूझान

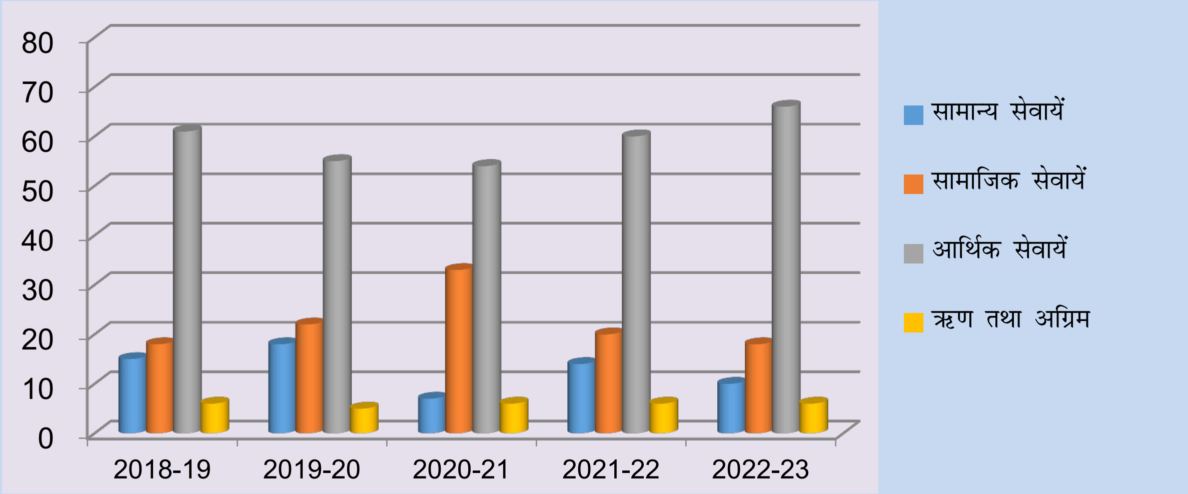

अध्याय IV

स्थापना और प्रतिबद्ध एवं स्कीम व्यय

4.1 व्यय का संवितरण (2022-23)

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक व्यय
स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	1,05,154
स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों)	1,12,399

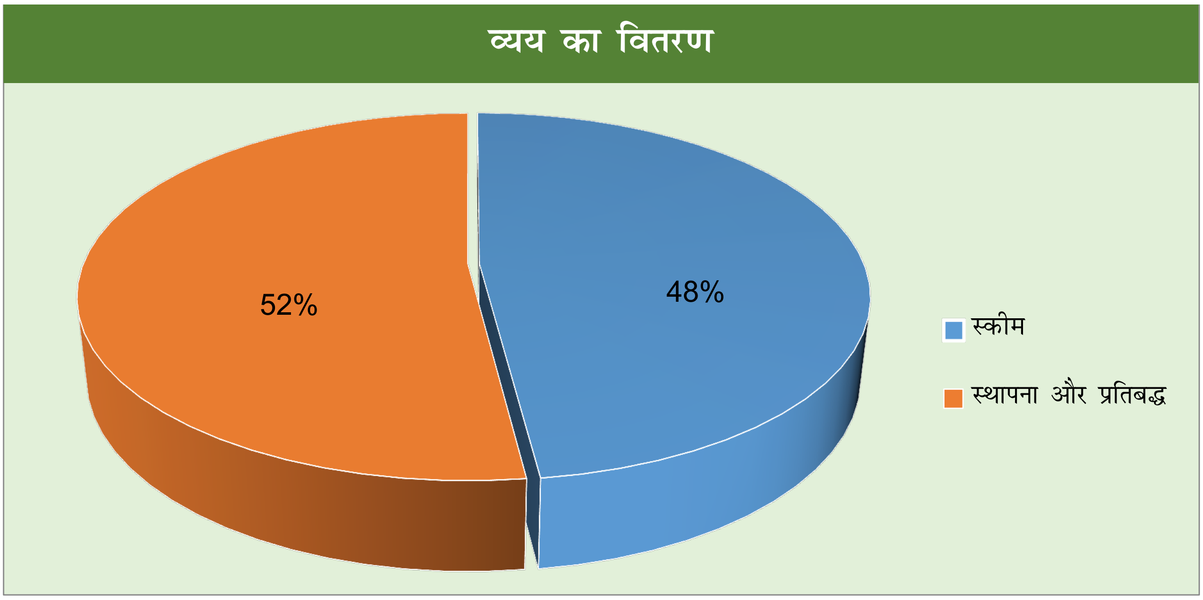

4.2 स्कीम व्यय

2022-23 के दौरान स्कीम व्यय (राजस्व तथा पूँजीगत दोनों) ₹1,05,154 करोड़ था जो कुल व्यय ₹2,17,553 करोड़ का 48 प्रतिशत था। इसमें राज्य स्कीम के अन्तर्गत ₹45,714 करोड़, केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत ₹57,452 करोड़, केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत ₹60 करोड़ और ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹1,928 करोड़ सम्मिलित हैं।

स०रा०घ०उ० तथा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयोजना व्यय

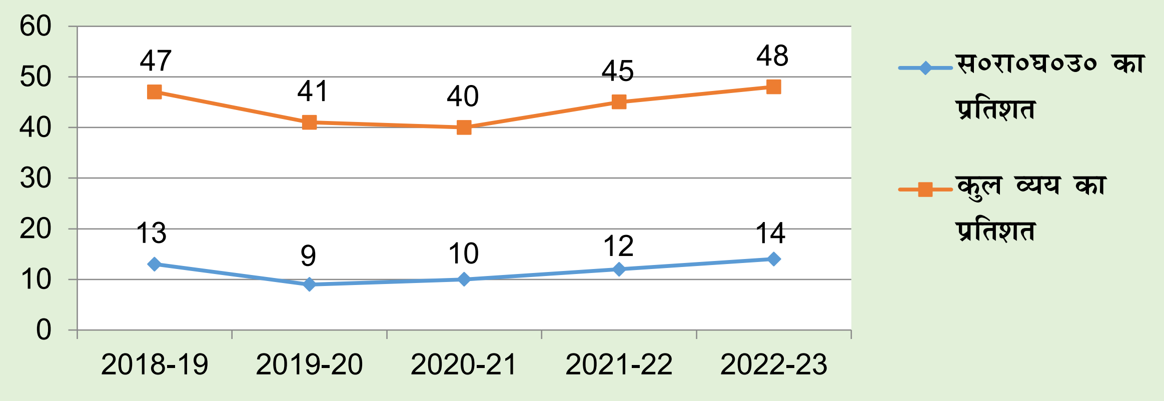

4.2.1 पूँजीगत लेखे के अंतर्गत स्कीम व्यय

(₹ करोड़ में)

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
कुल पूँजीगत व्यय	22,529	12,970	19,323	25,157	33,577
पूँजीगत व्यय (योजना)	22,407	12,863	19,204	24,811	33,424
कुल पूँजीगत व्यय से पूँजीगत व्यय (योजना) का प्रतिशत	99	99	99	99	99

4.3 स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय

2022-23 के दौरान स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय ₹1,12,399 करोड़ था, कुल व्यय ₹2,17,553 करोड़ का 52 प्रतिशत था। इसमें राजस्व के अंतर्गत ₹1,12,246 करोड़, पूँजी के अंतर्गत ₹24 करोड़ तथा ऋण तथा अग्रिमों के अंतर्गत ₹129 करोड़ सम्मिलित हैं।

स०रा०घ०उ० तथा कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में योजना भिन्न व्यय

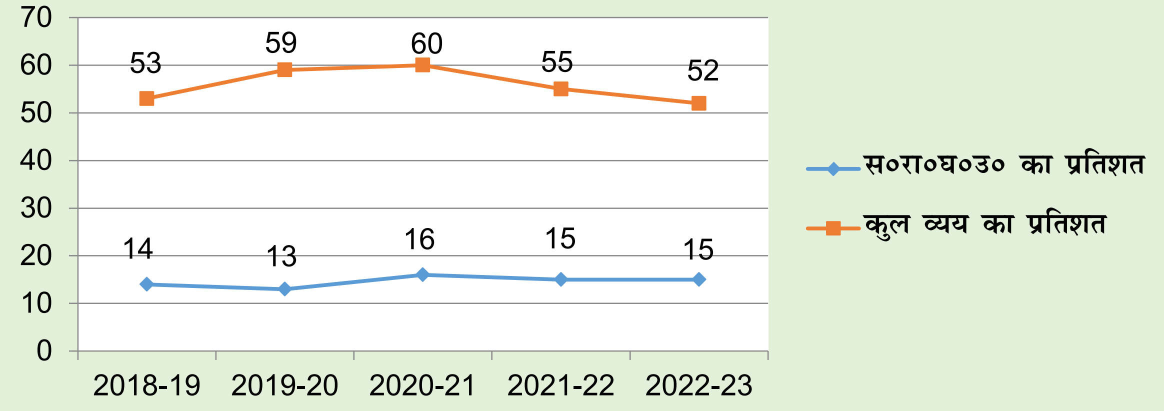

4.4 वचनबद्ध व्यय

(₹ करोड़ में)

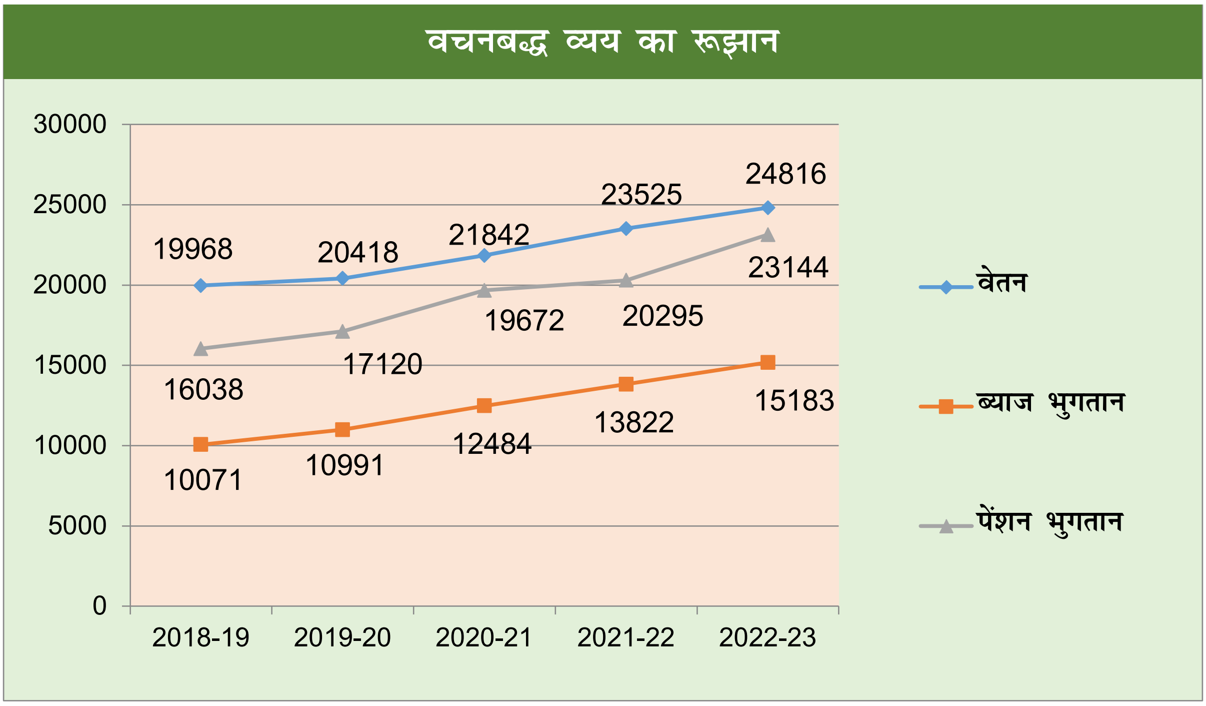

(₹ करोड़ में)

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वचनबद्ध व्यय	46,077	48,529	53,998	57,677	63,143
राजस्व व्यय	1,24,897	1,26,017	1,39,493	1,59,220	1,83,976
राजस्व प्राप्तियाँ	1,31,794	1,24,233	1,28,168	1,58,797	1,72,688
राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	35	39	42	36	37
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में वचनबद्ध व्यय	37	38	39	36	34

वचनबद्ध व्यय पर अत्यधिक राशि का व्यय, सरकार के लिए विकासात्मक व्यय के लचीलेपन को कम कर देती है।

अध्याय V

विनियोग लेखे

5.1 वर्ष 2022-23 के विनियोग लेखे का सार

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत(-) अधिक व्यय(+)
1.	राजस्व						
	दत्तमत	1,74,029	46,959	15,308	2,20,988	1,70,439	(-)50,549
	प्रभारित	17,928	35	1	17,963	16,788	(-)1,175
2.	पूँजीगत						
	दत्तमत	29,750	16,225	5,218	45,975	31,542	(-)14,433
	प्रभारित	--	--	--	--	--	--
3.	लोक ऋण						
	प्रभारित	14,670	0	0	14,670	14,351	(-)319
4.	ऋण तथा अग्रिम						
	दत्तमत	1,315	777	0	2,092	2,057	(-)35
	कुल	**2,37,692**	**63,996**	**20,527**	**3,01,688**	**2,35,177**	**(-)66,511**

5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बचत (-) / आधिक्य (+)				कुल
	राजस्व	पूँजीगत	लोक ऋण	ऋण तथा अग्रिम	
2018-19	(-)37,220	(-)11,415	(-)96	(-)442	(-)49,173
2019-20	(-)50,551	(-)26,784	(-)558	(-)954	(-)78,847
2020-21	(-)51,842	(-)24,977	(-)173	(-)615	(-)77,607
2021-22	(-)53,857	(-)16,848	(-)348	(-)141	(-)71,194
2022-23	(-)51,724	(-)14,433	(-)319	(-)35	(-)66,511

5.3 विशिष्ट बचतें

किसी अनुदान के अंतर्गत लगातार बचत का होना इस बात का द्योतक है कि या तो कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन नहीं हुआ या क्रियान्वयन धीमी गति से हुआ।

कुछ अनुदानों के अंतर्गत लगातार हुई बचतें तथा विशिष्ट बचतें निम्नवत है:-

(कुल आबंटन के सापेक्ष बचत का प्रतिशत)

अनुदान	नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
01	कृषि विभाग	43%	41%	56%	53%	41%
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	27%	30%	49%	61%	56%
03	भवन निर्माण विभाग	27%	70%	71%	40%	44%
04	मंत्री मंडल सचिवालय विभाग	38%	51%	64%	25%	69%
05	राज्यपाल सचिवालय	14%	97%	100%	88%	38%
06	निर्वाचन विभाग	12%	35%	12%	39%	46%
08	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	32%	39%	57%	45%	32%
16	पंचायती राज विभाग	18%	36%	36%	40%	36%
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	21%	50%	68%	41%	43%
20	स्वास्थ्य विभाग	24%	31%	31%	34%	42%
26	श्रम संसाधन विभाग	26%	26%	49%	23%	31%
29	खान एवं भूतत्व विभाग	33%	42%	40%	37%	33%
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	42%	51%	55%	52%	71%
31	संसदीय कार्य विभाग	0%	10%	0%	69%	78%
37	ग्रामीण कार्य विभाग	66%	71%	55%	45%	32%
39	आपदा प्रबंधन विभाग	66%	51%	28%	33%	36%
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	32%	42%	53%	40%	39%
45	गन्ना उद्योग विभाग	33%	35%	61%	68%	74%
47	परिवहन विभाग	14%	43%	47%	53%	46%
48	शहरी विकास और आवास विभाग	38%	51%	41%	40%	40%
50	लघु जल संसाधन विभाग	19%	69%	39%	54%	48%

2022-23 के दौरान कुल ₹11,880 करोड़ का अनुपूरक अनुदान (कुल व्यय का 17 प्रतिशत) जो कुछ प्रकरणों में अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वर्ष के अंत में मूल प्रावधान के विरूद्ध ही विशिष्ट बचतें हुई तथापि अनुपूरक अनुदान प्राप्त किया गया। कुछ उदाहरण निम्नवत हैं:-

(₹ करोड़ में)

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
01	कृषि विभाग	राजस्व	3,054	704	2,074
		पूँजी	530	91	498
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	1,590	278	826
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	859	47	730
		पूँजी	4,102	1,519	2,916
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	319	103	242
		पूँजी	196	175	0
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	311	9	172
07	निगरानी विभाग	राजस्व	46	2	38
08	क्ला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व	177	25	138
09	सहकारिता विभाग	राजस्व	1,220	66	1,005
11	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	1,840	130	1,635
12	वित्त विभाग	राजस्व	1,638	2	1,469
15	पेंशन	राजस्व	24,252	1,216	23,144
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	9,471	3,770	8,600
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	176	2	142
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	पूँजी	175	10	127
19	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	राजस्व	623	146	574
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	14,373	2,406	9,588
21	शिक्षा विभाग	पूँजी	710	302	516
22	गृह विभाग	राजस्व	13,682	149	11,142
		पूँजी	691	549	670
25	सूचना प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	170	17	114
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	815	3	606
		पूँजी	133	13	58

अनुदान	विभाग का नाम	अनुभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
27	विधि विभाग	राजस्व	1,060	114	1,057
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	49	8	38
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	283	22	146
32	विधानमंडल	राजस्व	255	2	216
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	904	41	726
		पूँजी	1,284	10	1,118
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	920	100	830
37	ग्रामीण कार्य विभाग	पूँजी	7,694	2,830	6,117
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	3,697	1,031	3,119
		पूँजी	0	125	0
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	1,253	139	903
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	371	62	350
		पूँजी	223	11	184
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	1,728	387	1,628
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	120	1	32
46	पर्यटन विभाग	पूँजी	155	15	110
47	परिवहन विभाग	राजस्व	362	50	230
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	8,026	1,950	5,582
49	जल संसाधन विभाग	पूँजी	3,193	293	2,192
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	228	3	184
		पूँजी	796	200	460

अध्याय VI

परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ

6.1 परिसम्पत्तियाँ

वित्त लेखे सरकार की परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन उनके अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के सिवाय अन्य वर्षों में प्रदर्शित नहीं करता है। इसी प्रकार, लेखे जहाँ चालू वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होनेवाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाते हैं, परन्तु एक सीमा तक केवल ब्याज दर एवं मौजूदा ऋण की अवधि को छोड़कर वे आगामी पीढ़ी पर दायित्वों के समग्र प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

2022-23 के अंत तक गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी के रूप में कुल निवेश ₹39,025 करोड़ रहा। जबकि वर्ष के दौरान निवेश पर ₹1.49 करोड़ (अर्थात् 0.004 प्रतिशत) का लाभांश प्राप्त हुआ। वर्ष 2021-22 (₹6.54 करोड़)की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान निवेश में ₹3,589 करोड़ की वृद्धि हुई, जबकि लाभांश आय में ₹5.05 करोड़ की कमी हुई।

31 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹22,741 करोड़ था तथा जो मार्च 2023 के अंत में घटकर ₹14,876 करोड़ हो गया।

6.2 ऋण तथा देयताएँ

भारत के संविधान का अनुच्छेद-293 राज्य सरकारों को राज्य के समेकित निधि की प्रतिभूतियों के एवज में राज्य को उस सीमा तक उधार लेने हेतु शक्ति प्रदान करता है, जो कि समय-समय पर आवश्यकतानुसार राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है।

राज्य सरकार के लोक ऋण तथा कुल देयताओं का विवरण निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लोक ऋण	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता	लोक लेखे (*)	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता	कुल देयताएँ	स०रा०घ०उ० का प्रतिशतता
2018-19	1,26,145	23	42,776	8	1,68,921	30
2019-20	1,48,180	24	45,202	7	1,93,382	32
2020-21	1,77,215	29	49,981	8	2,27,196	37
2021-22	2,08,913	31	48,597	7	2,57,510	38
2022-23	2,42,846	32	50,461	7	2,93,307	39

(*) उचन्त तथा प्रेषण शेष सम्मिलित नहीं है।

टीप : आँकड़े वर्ष के अंत तक प्रगामी अंतशेष को दर्शाते हैं।

2021-22 (₹2,57,510 करोड़) की तुलना में 2022-23 (₹2,93,307 करोड़) के अंत तक लोक ऋण तथा अन्य देयताओं में ₹35,797 करोड़ (14 प्रतिशत) की निवल वृद्धि हुई है।

(₹ करोड़ में)

सरकार की देयताओं का रूझान				
वर्ष	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	अल्प बचत तथा भविष्य निधियाँ	अन्य दायित्व (*)
2018-19	1,14,360	11,785	9,089	33,688
2019-20	1,36,082	12,098	9,279	35,923
2020-21	1,59,557	17,657	9,445	40,536
2021-22	1,82,855	26,058	9,517	39,075
2022-23	2,08,098	34,748	9,397	41,065

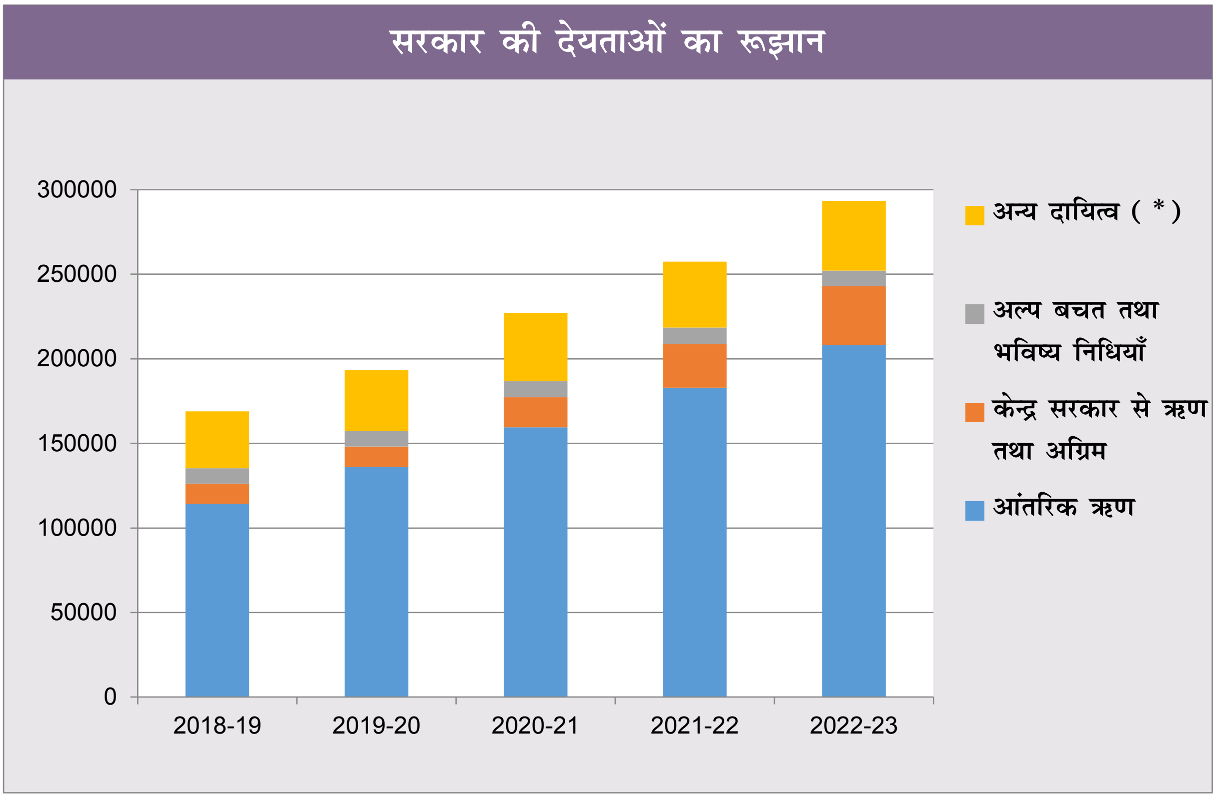

(*) बिना ब्याज वाली दायित्वें जैसे कि स्थानीय निधियों की जमा, अन्य उदिष्ट निधियाँ इत्यादि।

6.3 गारंटियाँ

सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, निगमों, सहकारी संस्थाओं आदि द्वारा लिए गए कर्जों और पूँजी तथा उन पर देय ब्याज के भुगतान के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए गारंटियों की स्थिति निम्नवत है:–

(₹ करोड़ में)

वर्ष के अंत तक	दी गई गारंटी की अधिकतम राशि (मात्र मूलधन)	वर्ष के अंत में बकाया राशि	
		मूलधन	ब्याज
2018-19	20,834	5,398	104
2019-20	20,834	5,380	105
2020-21	24,972	16,080	328
2021-22	37,317	24,655	415
2022-23	40,317	25,257	683

अध्याय VII

अन्य विषयें

7.1 आंतरिक ऋण के अंतर्गत शेष

राज्य सरकारों का ऋण ग्रहण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा नियंत्रित होता है। प्रत्यक्ष रूप से ऋण लेने के अलावा, राज्य सरकारें राज्य बजट के बाहर रखे गए विभिन्न योजनागत योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु शासकीय कम्पनियों एवं निगमों द्वारा बाजार तथा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए गारंटी भी प्रदान करती हैं। इन ऋणों को संबंधित प्रशासनिक विभागों की प्राप्ति के रूप में व्यवहृत किया जाता है तथा ये सरकार के पुस्तकों में प्रकट नहीं होते हैं। 31 मार्च 2023 को आंतरिक ऋण के अंतर्गत ₹2,08,098 करोड़ शेष है।

7.2 राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण तथा अग्रिम

वर्ष 2022-23 के अंत तक राज्य सरकार द्वारा दिए गए ₹25,251 करोड़ के कुल ऋण तथा अग्रिम में से ₹23,975 करोड़ सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को ऋण तथा अग्रिम दिए गए। 31 मार्च 2023 के अंत तक मूलधन ₹10,035 करोड़ एवं ब्याज ₹14,025 करोड़ बकाए के रूप में वसूली योग्य थे। वर्ष 2022-23 के दौरान मात्र ₹41 करोड़ कर्ज तथा उधार के पुनर्भुगतान के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें से ₹22 करोड़ सरकारी कर्मचारियों को दिए गए कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है।

7.3 स्थानीय निकायों तथा अन्य को वित्तीय सहायता

विगत पाँच वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों आदि को सहायता अनुदान वर्ष 2018-19 में ₹51,764 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2022-23 में ₹79,941 करोड़ हो गया। वर्ष के दौरान दिए गए कुल अनुदान का 24 प्रतिशत (₹19,465 करोड़) जिलापरिषदों, नगरपालिकाओं/ नगरनिगमों/ परिषदों तथा ग्राम पंचायत सहित पंचायत समितियों को अनुदान दिया गया।

विगत पाँच वर्षों के लिए सहायता अनुदान का विवरण निम्नवत है:-

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद्	निगम/नगरपालिका/ परिषद	ग्राम पंचायत सहित पंचायत समिति	अन्य*	कुल
2018-19	1,749	1,759	5,769	42,487	51,764
2019-20	1,429	1,271	8,542	35,340	46,582
2020-21	1,760	4,784	11,139	37,246	54,929
2021-22	3,279	5,383	9,989	46,364	65,015
2022-23	2,859	4,991	11,615	60,476	79,941

*मध्याह्न भोजन योजना, साईकिल योजना, पोशाक योजना एवं सर्वशिक्षा अभियान आदि पर भी किया गया व्यय शामिल है।

7.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

(₹ करोड़ में)

घटक	1 अप्रैल 2022 को	31 मार्च 2023 को	निवल वृद्धि (+) / कमी (-)
रोकड़ शेष	671	806	135
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार कोषागार विपत्र)	22,070	14,070	(-)8,000
अन्य रोकड़ शेष (क) विभागीय शेष (ख) स्थाई रोकड़ अग्रदाय	235 762	235 765	0 3
उद्दिष्ट निधियों से निवेश	5,740	7,028	1,288
(क) निपेक्ष निधि	0	0	0
(ख) गारंटी उन्मोचन निधि	--	--	--
(ग) अन्य निधियाँ	--	--	--
*** प्राप्त ब्याज**	190	276	86

(*) यह मात्र रोकड़ शेष के निवेश पर संग्रहित ब्याज को दर्शाता है।

राज्य सरकार के पास वर्ष 2022-23 के अंत तक रोकड़ शेष का अंतशेष धनात्मक था। इन निवेशों पर ब्याज प्राप्ति में 45.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.5 लेखा प्रेषण ईकाईयों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

कोषागार लेखों के लेखों को CFMS के माध्यम से 01.04.2019 के प्रभाव से लागू किया गया है। ये लेखे बिहार सरकार के लेन-देन का विवरण प्रस्तुत करते हैं। बिहार सरकार की प्राप्तियों और व्यय के लेखों को 43 कोषागारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रारंभिक लेखों एवं भारतीय रिजर्व बैंक की सूचना के आधार पर संकलित किया गया है। 622 लोक निर्माण कार्य प्रभागों यथा भवन निर्माण (62), पथ निर्माण (77), जल संसाधन (245), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (63), पंचायती राज (57), ग्रामीण कार्य (118) एवं 49 वन प्रमण्डलों का लेनदेन कोषागार लेखा में शामिल किया गया हैं। वर्ष की समाप्ति पर कोई भी लेखा विलोपित नहीं किया गया है।

7.6 सिंगल नोडल एजेन्सी के खाते में राशि का अंतरण

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या 1(13) पीएफएमएस/एफसीडी/2020 दिनांक 23.03.2021 के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत धन जारी करने और सिंगल नोडल एजेन्सी (एसएनए) के माध्यम से जारी धन के उपयोग की निगरानी के लिए प्रक्रिया अधिसूचित की थी। प्रत्येक सीएसएस के

लिए राज्य सरकार द्वारा सरकारी व्यवसाय संचालित करने के लिए एसएनए की स्थापना अधिसूचित वाणिज्यिक बैंक में उसके बैंक खाते के साथ की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, राज्य सरकार को अपने खातों में प्राप्त केंद्रीय अंश को राज्यांश के साथ संबंधित एसएनए के खाते में अंतरित करना है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार को केन्द्रांश के रूप ₹22,481.46 करोड़ कोषागार खातों में प्राप्त हुए। 31 मार्च 2023 तक, सरकार ने कोषागार खातों में प्राप्त ₹22,231.91 करोड़ का केन्द्रांश और ₹14,190.40 करोड़ का राज्यांश एसएनए को अंतरित कर दिया। ₹36,422.31 करोड़ के कुल अंतरण में से ₹745.69 करोड़ एसी बिलों के माध्यम से, ₹29,627.52 करोड़ जीआईए बिलों के माध्यम से, ₹5,996.11 करोड़ पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक बिलों के माध्यम से और ₹52.99 करोड़ छात्रवृत्ति और वजीफे के बिलों के माध्यम से अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत वाउचर और सहायक दस्तावेज एजी कार्यालय को एसएनए से प्राप्त नहीं हुए है। जैसा कि राज्य सरकार/एसएनए द्वारा सूचित किया गया है, 31 मार्च 2023 तक एसएनए के बैंक खातों में ₹15,732.06 करोड़ बिना खर्च किए पड़े हैं।

7.7 राज्य सरकार की ऑफ-बजट देयताएँ

ऑफ-बजट उधार सरकार भार है क्योंकि मूलधन और उस पर ब्याज अनिवार्य रूप से सरकारी बजट के माध्यम से राज्य इकाई को सहायता या अनुदान के रूप में दिया जाता है।

राज्य सरकार अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ऑफ-बजट देयताएँ नहीं दर्शाती है। हालांकि, राज्य सरकार (31.03.2023 तक) ने दो पीएसयू यथा बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड (बीएसआरडीसी) एवं बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (बीआरआरडीए) को ऑफ-बजट देयताओं के रूप में ₹2,077.60 करोड़ की राशि प्रदान की है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थान/संगठन का नाम	गारंटी राशि	सूचना का स्रोत
1.	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड, (पथ निर्माण विभाग)	1,206.77	राज्य सरकार
2.	बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (ग्रामीण कार्य विभाग)	870.83	राज्य सरकार
कुल		**2,077.60**	

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार ने ऑफ-बजट उधार के कारण सहायता/अनुदान के रूप में ₹180.05 करोड़ प्रदान किए। ऑफ-बजट उधार के अलावा, लागत की वसूली न होने के कारण बिजली कंपनियों को ₹7,801 करोड़ की अंतर्निहित सब्सिडी भी वर्ष में प्रदान की गई थी। ये राजकोषीय संतुलन को प्रभावित करते हैं।

7.8 असमायोजित संक्षिप्त आकस्मिक (ए०सी०) विपत्र

वित्तीय नियम (बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 177) में यह निदेशित है कि कोषागार से मांग के पूर्वानुमान अथवा बजटीय अनुदानों को व्यपगत होने से रोकने के लिए कोई धन नहीं निकाला जाना चाहिए। आकस्मिक परिस्थिति में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) विपत्रों के माध्यम से राशि निकालने के लिए प्राधिकृत हैं। बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 194 के अनुसार, डीडीओ द्वारा जिस माह में कोषागार से अग्रिम लिया गया था उसके पूरा होने से छह महीने के भीतर अंतिम व्यय के समर्थन में प्रमाणकों (वाउचर) सहित विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डीसीसी) विपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹6,149.29 करोड़ की राशि का कुल 4,382 ए.सी. विपत्रों में से मार्च 2023 में ₹2,106.98 करोड़ (34.26 प्रतिशत) की राशि 1,209 ए.सी. विपत्रों द्वारा निकासी की गयी। 31 मार्च 2023 तक ₹27,392 करोड़ की राशि के कुल 7,489.05 एसी विपत्रों के संबंध में डीसी विपत्र प्राप्त नहीं हुए थे। 31 मार्च 2023 तक असमायोजित एसी विपत्रों के लंबित डीसी विपत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

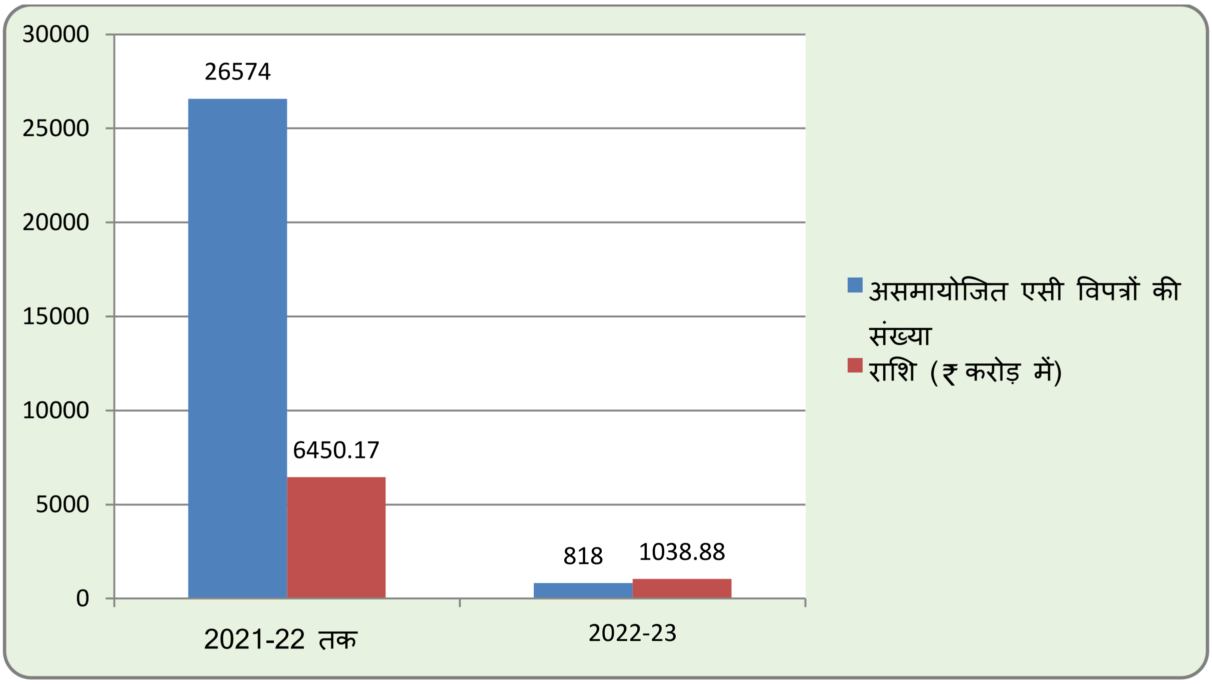

7.9 अप्राप्त सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू०सी०)

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 271 के अनुसार, अनुदानग्राही द्वारा प्राप्त सहायता अनुदान के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), अनुदान प्राप्त करने वाले प्राधिकारी को अनुदान प्राप्त करने की तारीख से 18 महीने के अंदर या उसी प्रयोजन पर आगे अनुदान हेतु आवेदन करने के पूर्व, जो भी पहले हो, प्रस्तुत

किया जाना चाहिए। उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने की स्थिति में इस बात का जोखिम है कि वित्त लेखे में उल्लेखित राशि संभवत: लाभार्थियों तक नहीं पहुँची थी।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 31.03.2023 तक की अवधि के लिए 9,374 बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों से संबंधित ₹1,09,093.32 करोड़ की राशि समायोजित की गई। 31.03.2023 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति नीचे दी गई है:

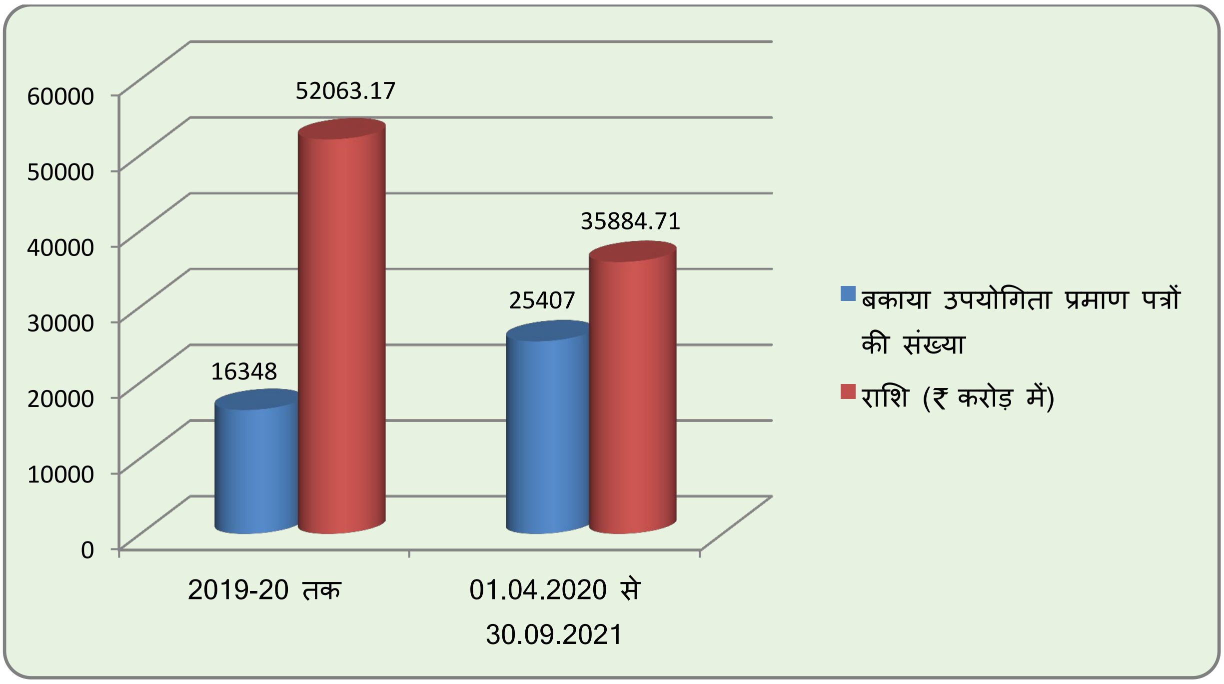

उपर्युक्त वर्णित वर्ष 'लंबित वर्ष' से संबंधित है अर्थात् वास्तविक आहरण के 18 माह पश्चात्। वर्ष 2022-23 के दौरान, ₹79,940.88 करोड़ की राशि के 21,686 जीआईए बिल जोड़े गये है।

7.10 व्यक्तिगत जमा (पी०डी०) खाता को स्थानांतरित राशि

नामित आहरण अधिकारी किसी योजना से संबंधित विशिष्ट उद्देश्यों के लिए पी.डी. खाते से व्यय करने हेतु सक्षम है।

वर्ष 2022-23 के दौरान ₹1,233.09 करोड़ की राशि पी.डी. खाते में अंतरित की गयी। इसमें मार्च 2023 में अंतरित ₹149.56 करोड़ की राशि शामिल है।

बिहार कोषागार संहिता, 2011, के नियम 353 के अनुसार, 59 पी.डी. प्रशासकों द्वारा वार्षिक सत्यापन प्रमाण पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुतीकरण के लिए कोषागार अधिकारी को उपलब्ध कराए गए। कोषागार के साथ शेष राशि के मिलान संबंधित सूचना पी.डी. प्रशासकों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

31 मार्च 2023 तक पी.डी. खाते से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरणी	व्यक्तिगत जमा खातों की संख्या	राशि
आदि शेष	212	4,040.21
सीएफएमएस में माईग्रेट नहीं किये गये	5	1.54
वर्ष के दौरान प्राप्ति	0	1,229.60
वर्ष के दौरान भुगतान	02	1,411.76
अंत शेष	242	3,858.05

वित्त विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या-2916, दिनांक-03.06.2020, द्वारा बिहार ट्रेजरी कोड 2011 के नियम 349 को संशोधित किया और पहले के तीन वित्तीय वर्षों से खर्च नहीं किए गए धन की अवधि को बाद के पांच वित्तीय वर्ष तक बढ़ा दिया गया और 01.04.2019 से पहले खोले गए सभी व्यक्तिगत जमा खातों/व्यक्तिगत लेजर खातों को 01.04.2019 से सीएफएमएस प्रणाली के तहत एक डिफॉल्ट के रूप में खोला हुआ मान लिया गया। इस प्रकार, निष्क्रिय और व्यपगत पीडी खातों का निर्धारण तदनुसार किया जाएगा।

7.11 सीसीओ और महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के बीच प्राप्तियों और व्यय का समाधान

सभी नियंत्री अधिकारियों को सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मिलान महालेखाकार (लेखा एवं हक.), बिहार द्वारा दिए गए आंकड़ों के साथ करना आवश्यक है। वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹1,43,135.46 करोड़ (कुल राजस्व प्राप्तियों का 82.89 प्रतिशत) की प्राप्तियों और ₹1,63,284.02 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का 75.77 प्रतिशत) के व्यय का मिलान किया गया है।

विगत वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹1,33,814.05 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 84.27 प्रतिशत) की प्राप्तियों एवं ₹20,606.37 करोड़ (कुल राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का 11.27 प्रतिशत) के व्यय का मिलान किया गया था।

7.12 उचंत लेखा के अंतर्गत अंतरण प्रविष्टि

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने वर्ष 2022-23 के दौरान ₹2,725.00 करोड़ (राजस्व व्यय: ₹873.05 करोड़ और पूंजीगत व्यय: ₹1,851.95 करोड़) के 11,400 वाउचरों में आपत्ति जताई है। इन वाउचरों को स्वीकृति आदेशों/पेंशन भुगतान दस्तावेजों/चलंत बिलों/उप-वाउचरों आदि के अभाव में उचंत खातों में रखा गया है। 2022-23 के दौरान पिछले वर्षों से संबंधित ओबी उचंत के ₹3,713.42 करोड़ (राजस्व: ₹2,206.05 करोड़ और पूंजी: 1,507.37 करोड़) समाशोधित किए गए हैं।

7.13 उचन्त लेखे शेष

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, उचन्त लेखे खातें में शेष 2018-19 के ₹4,724 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹14,417 करोड़ हो गया।

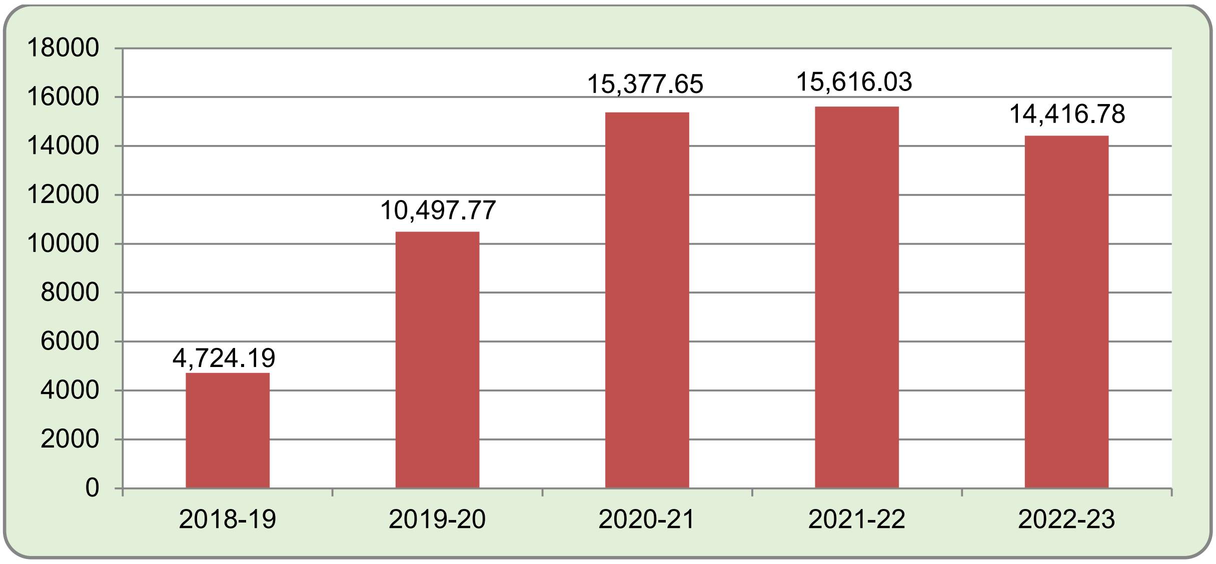

पिछले पाँच वर्षों के उचंत खातें के अंतर्गत शेष का विवरण निम्नलिखित हैं:-

(₹ djkM e)

उचन्त लेखे	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त	314.56	289.24	313.90	365.08	360.73
उचन्त लेखा (सिविल)	3,956.07	9,857.46	14,527.78	14,785.91	13,832.20
नकद परिनिर्धारण उचन्त लेखा	32.29	32.29	32.29	32.29	32.29
रिजर्व बैंक उचन्त (मुख्यालय)	264.58	274.00	262.63	261.72	257.40
रिजर्व बैंक उचन्त (केन्द्रीय लेखा कार्यालय)	385.43	299.58	605.60	354.98	358.26
विभागीय समायोजन लेखा	104.41	104.41	104.41	104.41	104.41
स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त	328.36	327.70	464.67	284.44	525.39
सामग्री क्रय परिनिर्धारण उचन्त लेखा	66.11	66.11	66.11	66.11	66.11

7.14 अपूर्ण पूँजीगत कार्यो पर वचनबद्धता

वित्त लेखे खण्ड II के परिशिष्ट IX के अनुसार राज्य सरकार द्वारा विभिन्न अर्पूण परियोजनाओं पर मूल अनुमानित खर्च ₹6,835.03 करोड़ के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कुल ₹15,763.96 करोड़ व्यय किया गया।

'अपूर्ण पूँजीगत कार्यों' पर वचनबद्धता का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य विभाग का नाम	कार्य की अनुमानित लागत	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के दौरान प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षण के पश्चात अनुमानित लागत
1	जल संसाधन विभाग	6,692.94	764.50	2,490.68	1,317.12	1,355.03
2	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	11.42	0.00	2.31	1.96	0.00
3	भवन निर्माण विभाग	3,365.53	966.85	1,889.48	175.74	141.85
4	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन	28.33	7.58	14.05	13.39	0.00
5	पथ निर्माण विभाग	5,260.16	949.51	2,369.61	1,653.45	511.15
6	ग्रामीण कार्य विभाग	405.58	80.49	68.90	114.64	0.00
जोड़		**15,763.96**	**2,768.93**	**6,835.03**	**3,276.30**	**2,008.03**

7.15 अप्रत्याशित और असाधारण घटनाओं से संबंधित व्यय

वर्ष 2022-23 के दौरान बिहार सरकार ने मुख्य शीर्ष 2245 के अंतर्गत अप्रत्याशित/असाधारण घटनाओं (अर्थात् कोविड-19 महामारी) से संबंधित राहत कार्यों पर ₹213.64 करोड़ (विगत वर्ष 2021-22 में ₹981.64 करोड़) का राजस्व व्यय किया।

सरकार को इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार से सहायता अनुदान/केंद्रीय सहायता आदि जैसी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है।

7.16 भारत सरकार लेखांकन मानक (आई०जी०ए०एस०) का अनुपालन

सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार करने के उद्देश्य से जो निर्णय लेने और सार्वजनिक जवाबदेही की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) ने लेखांकन की नकद प्रणाली के लिए भारत सरकार लेखा मानक (आईजीएएस) तैयार किया है। आईजीएएस, संघ और राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। तदनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा उनकी अधिसूचना के बाद प्रभावी तिथि से तीन आईजीएएस अनिवार्य हो गए है।

आईजीएएस-1 सरकारों द्वारा दी गई गारंटी: आइजीएएस-1 के लिए आवश्यक है राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों पर क्षेत्रवार एवं वर्गवार प्रकटीकरण को वित्त लेखाओं में शामिल किया जाए। विवरण 9 और 20

राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों तथा गारंटीकृत राशि पर ब्याज के विवरण को दर्शाते हैं। लेखे पर टिप्पणियों में क्षेत्रवार एवं वर्गवार विवरण को दर्शाया गया है।

आईजीएएस-1 के अनुसार विवरण 9 एवं 20 में प्रतिवेदित गारंटियों का विवरण राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनाओं पर आधारित है।

आईजीएएस-2 सहायता अनुदान का लेखा एवं वर्गीकरण: आईजीएएस-2 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह, पर राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत मामलों को छोड़कर सहायता अनुदान से संबंधित व्यय को राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, भले ही इसमें संपत्ति का निर्माण शामिल हो। राज्य सरकार द्वारा दिए गए सहायता-अनुदान के लेखांकन और वर्गीकरण के संबंध में आवश्यकताओं को विवरण 10 और परिशिष्ट-III में दर्शाया गया है जो आईजीएएस-2 की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायता अनुदान के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

आईजीएएस-3 सरकार द्वारा दी गयी ऋण तथा अग्रिम: आईजीएएस-3 को केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर प्रकटीकरण की आवश्यकता है।

वित्त लेखे 2022-23 के विवरण 7 और 18 को आईजीएएस-3 के तहत प्रकटीकरण को शामिल करते हुए तैयार किया गया है। वित्त लेखाओं के इन विवरणों में प्रतिवेदित ऋण और अग्रिमों का विवरण महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को दी गई लेखाओं के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं और सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों और अग्रिमों के संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा अनुरक्षित विस्तृत लेखाओं पर आधारित है। 31 मार्च 2023 तक विवरण 7 और 18 में वर्णित अंत शेषों का ऋणी संस्थाओं/राज्य सरकार के साथ मिलान नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने कुछ ऐसे ऋणों एवं अग्रिमों के संबंध में भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए हैं जिनके लिए वे विस्तृत लेखा-जोखा रखते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में विवरण 7 और 18 में उल्लेखित राशि का मिलान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया है।

शेष राशियों के मिलान हेतु विभागीय/कोषागार अधिकारियों से प्रतीक्षित सूचना का विवरण वित्त लेखे खंड-II के परिशिष्ट-VII में दिया गया है।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in

https://cag.gov.in/ae/bihar/hi